रजिस्टर्ड नं० पी०/एच० एम० 13.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 31 ] शिमला, शनिवार, 26 फरवरी, 1983/7 फाल्गुन, 1904 [ संख्या 9

विषय-सूची


| | | |
|---|---|---|
| भाग 1 | वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि .. | 186—188 तथा 213 |
| भाग 2 | वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि .. | 188—189 |
| भाग 3 | अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि .. | 189—207 |
| भाग 4 | स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग | — |
| भाग 5 | वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन .. .. .. .. .. | 207—209 तथा 214 |
| भाग 6 | भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन .. .. .. .. | — |
| भाग 7 | भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं .. .. .. .. .. | 209—213 |
| — | अनुपूरक .. .. .. .. .. | — |


26 फरवरी, 1983/7 फाल्गुन, 1904 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं :—

| विज्ञप्ति की संख्या | विभाग का नाम | विषय |
|---|---|---|
| No. PCH (HA)4-1/82, dated the 31st January, 1983. | Panchayati Raj Department | Authorised English text of notification of even number, dated 15th January, 1983. |
| No. PCH. HA(4)1/82, dated the 31st January, 1983. | -do- | -do- |
| -do- | -do- | -do- |
| — | Directorate of State Lotteries | Result of 127th Draw of the H. P. State Lottery "Himalayan Weekly" held at Simla on 22nd February, 1983. |

516-राजपत्र-26-2-83—1,195.



मूल्य: 1 रुपया।

भाग 1—वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

## हिमाचल प्रदेश सरकार

### SOIL CONSERVATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Simla-2, the 13th May,* 1982

No. SC. A(4)-1 81.—The words and figures "In supersession of Agriculture Department's notification Nos. 12-13/75-Agr. (Sectt.) dated 14-8-1978 and 5-5-1978" appearing in first and second line of this Department notification of even number, dated the 5th January, 1982 shall and shall invariably be deemed to have been substituted by the following words and figures:—

"In partial modification of Agriculture Department notification No. 12-13/75-Agr. (Sectt.), dated 5-5-1978".

By order,
B. C. NEGI,
*Financial Commissioner (Dev).-cum-Secretary.*

---

प्रतिलिपि संख्या 12-13/75-एग्र(सैक्ट) जो कि दिनांक 5 मई, 1978 (अधिसूचना) श्री अनंग पाल, सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्त विभाग (विनियम), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 तथा अन्य को प्रेषित है।

हिमाचल प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, प्रदेश के सभी जिलों के लिए, इस विभाग के इस प्रसंग से सम्बन्धित सभी पूर्व अधिसूचनाओं का निवर्तन करते हुए, जिलास्तरीय भूमि विकास समितियों का नए सिरे से गठन निम्न प्रकार से करते हैं।

समितियों का कार्य निष्पादन उक्त अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त कार्यों का शीघ्र निपटारा करना होगा। समितियों के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा जो कि इस अधिसूचना के राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावशाली होगा।

1. शिमला जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | उपायुक्त, शिमला | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वन अधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री पी. एस. झोना, गांव डमेहरड़ा, कोटखाई, जिला शिमला | सदस्य |
| 5. | श्री लेख राम, सरपंच, न्याय पंचायत करयाली, डा0 करयाली, सब-तहसील सूनी, जिला शिमला | सदस्य |

2. कांगड़ा जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री हरनाम सिंह मारफत श्री दुर्गा दास विधायक | सदस्य |
| 5. | श्री विनय सिंह, कुसुल बिला, बुगर, पालमपुर | सदस्य |

3. चम्बा जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री केवल कृष्ण गुप्ता, वकील, चम्बा | सदस्य |
| 5. | श्री टेक चन्द (सेवा निवृत नायब-तहसीलदार), मुहल्ला सापड़ी, चम्बा टाउन (हिमाचल प्रदेश) | सदस्य |

4. हमीरपुर जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री बलदेव राज, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) | सदस्य |
| 5. | श्री अजुध्या दास, प्रधान, ग्राम पंचायत चौरी, जिला हमीरपुर | सदस्य |

5. ऊना जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री तरसेम सिंह, गांव कुंगरक, डाकघर कुंगरक, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) | सदस्य |
| 5. | लेफ्टिनेन्ट धर्म सिंह, गांव बंजाल, डाकघर लठयानी, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) | सदस्य |

6. मण्डी जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री सुख राम हाजरी, गांव व डाकघर खुदर, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी | सदस्य |
| 5. | श्री उत्तम चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत धाधनू, गांव चाहका-डोहरा, डाकघर धोघनू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी | सदस्य |

7. सिरमौर जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री सोता राम, वकील, नाहन | सदस्य |
| 5. | श्री आई. सी. गुप्ता, वकील, नाहन | सदस्य |

8. बिलासपुर जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री सन्त राम, गांव समलेटा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर | सदस्य |
| 5. | श्री परसराम ठाकुर, गांव वेहरून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर | सदस्य |

9. कुल्लू जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री सीस राम, वकील, कुल्लू | सदस्य |
| 5. | श्री देवी सिंह पाल, वकील, कुल्लू | सदस्य |

10. सोलन जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री रिखी राम, गांव डाडल, डाकघर भूमती, तहसील अर्की (जिला सोलन) | सदस्य |
| 5. | श्री शिव दत्त भारद्वाज, ठोडो मैदान के समीप सोलन | सदस्य |

11. किन्नौर जिला:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | मण्डलीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| 4. | श्री मान सिंह, गांव रिब्बा, तहसील मोरंग, जिला किन्नौर | सदस्य |

5. श्री हुकम लाल, गांव हुमरांग, तहसील पूह वर्तमान रेडियो मकैनिक, रामपुर बुशहर (जिला शिमला) सदस्य

12. लाहौल-स्पीति जिला :

1. जिला उपायुक्त अध्यक्ष
2. मंडलीय वनाधिकारी सदस्य
3. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सदस्य-सचिव
4. श्री मोती राम, भूतपूर्व सदस्य, पी.टी.ए.सी. गांव रपरिंग, डाकघर कोठी जहालमन, लाहौल सदस्य
5. श्री बीर सिंह, दुकानदार काजा, डाकघर काजा, तहसील स्पीति वाया रामपुर बुशहर सदस्य

3. **परिसीमाएं :**

जिला भूमि विकास समिति की परिसीमाएं सम्पूर्ण जिले की सीमाओं तक निहित होंगी।

4. **गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते का भुगतान :**

जो काम समिति को सौंपे गए हैं उसके सम्बन्ध में की गई यात्रा के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को संलग्न अनुबन्ध "क" में निर्धारित शर्तों के आधार पर यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों की प्रति-हस्ताक्षरित करने के सम्बन्ध में उपायुक्त, नियन्त्रक प्राधिकारी होंगे, तथा इस सम्बन्ध में यात्रा भत्ते के बिल सम्बन्धित सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप-संचालक कृषि के कार्यालय में तैयार किए जायेंगे तथा उसी कार्यालय में उनकी समीक्षा की जायेगी।

उपरोक्त सम्बन्ध में व्यय मुख्य शीर्ष 307—स्वायल एण्ड वाटर कंजरवेशन (ए) स्वायल कंजरवेशन स्कीम्ज (ए) (4) स्वायल कंजरवेशन ऑन एग्रीकल्चरल लैण्ड (एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट) को विकलित होगा।

**अनुबन्ध "क"**

1. **यात्रा भत्ता :**

**रेल यात्रा :**

(i) **विधान सभा सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य**

ये प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर माने जायेंगे और ऐसे वास्तविक रेल किराए के अधिकारी होंगे जिस श्रेणी में उन्होंने वस्तुतः यात्रा की हो किन्तु यह श्रेणी सामान्यतः प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी की नियत की गई श्रेणी से अधिक नहीं होगी। अर्थात ऐसी श्रेणी जो प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रेलों में उपलब्ध उच्चतम श्रेणी है और चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाता है, से यात्रा की जा सकती है।

(ii) **बस यात्रा :**

बस में एक स्थान (सीट) लेकर या मोटर साइकल या स्कूटर से यात्रा करने पर ये वास्तविक किराए और साथ में माइलेज भत्ते के रूप में 25 पैसे प्रति किलोमीटर मैदानी क्षेत्रों में और 33 पैसे प्रति किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्रों में लेने के अधिकारी होंगे। यदि पूरी टैक्सी ले कर यात्रा की गई हो तो उस दशा में माइलेज भत्ता 60 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से दिया जायेगा। इन दरों में हिमाचल प्रदेश के लिए 33-1/3 प्रतिशत तात्विक अभिवृद्धि भी शामिल है अपनी कार में यात्रा करने पर 75 पैसे प्रति किलोमीटर मैदानी क्षेत्रों में और एक रुपया प्रति किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्रों में माइलेज भत्ता दिया जायेगा।

(iii) ऊपर (i) और (ii) में निहित वास्तविक किराये अथवा माइलेज के अतिरिक्त सदस्य अपने स्थायी-निवास स्थान से प्रस्थान और पुनः वहां वापसी के बीच की सम्पूर्ण अनुपस्थिति के लिए उसी दर पर और उन्हीं नियमों के अनुकूल दैनिक भत्ता प्राप्त करेगा जो प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को लागू होते हैं।

2. **दैनिक भत्ता :**

(1) गैर सरकारी सदस्यों को बैठक के दौरान प्रत्येक दिवस के लिए उस उच्चतम दर पर दैनिक भत्ता दिया जायेगा जो वहां के स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को देय हो।

(2) बैठक के दौरान प्रत्येक दिन/दिनों के लिए दैनिक भत्ते के तिरिक्त सदस्य समिति के कार्य निष्पादन में बाहर स्थान पर ठहरने के लिए भी दैनिक भत्ते का निम्नलिखित रूप में अधिकारी होगा :

(अ) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक न हो
(ब) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक हो और 12 घण्टों से अधिक न बढ़े .. 50 प्रतिशत
(स) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घण्टों से अधिक बढ़ जाए .. पूर्ण।

3. **वाहन भत्ता :**

यदि सदस्य उसी स्थान का निवासी है जहां समिति की बैठक हो तो उस दशा में वह सदस्य उपर्युक्त दरों पर यात्रा एवं दैनिक भत्ते का अधिकारी नहीं होगा। वास्तविक खर्चा, अधिकाधिक 10 रुपये प्रति दिन की सीमा तक दिया जायेगा। इस प्रकार का भुगतान करने से पूर्व नियन्त्रक अधिकारी को कथित दावे (क्लेम) के सन्दर्भ में पुष्टि के लिए ऐसा ब्यौरा प्राप्त करना होगा जो वह आवश्यक समझे और तदोपरांत यह सत्यालेख देना होगा कि वास्तविक खर्चा दी जाने वाली धन राशि से कम नहीं है। यदि ऐसा सदस्य अपने वाहन का उपयोग करे तो उसे माइलेज भत्ता उस दर पर दिया जायेगा जिस पर प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, किन्तु जिसकी अधिकाधिक सीमा 10 रुपये प्रतिदिन होगी।

4. यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सदस्य को तभी दिया जायेगा जब वह इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि कथित यात्रा एवं ठहरने के लिए उसने किसी अन्य सरकारी स्रोत से यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

5. समिति की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्य को अपनी वास्तविक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता लेने की पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने निवास स्थान जहां से/पर यात्रा आरम्भ/समाप्त होगी, का नाम पहले देना होगा। यदि कोई सदस्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसे किसी स्थान से यात्रा करता है जो उसका स्थायी निवासी नहीं है या बैठक के समाप्त होने पर वापिस ऐसे स्थान को लौटता है जो उसका स्थायी निवास नहीं है, तो यात्रा भत्ता तय की गई वास्तविक दूरी या स्थायी निवास और बैठक के स्थान के मध्य की दूरी में जो कम हो के आने पर परिगणित किया जायेगा।

6. **विधान सभा सदस्य :**

ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को जो विधान सभा के सदस्य हैं, समिति के काम के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता समय-समय पर संशोधित विधान सभा सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के आधार पर दिया जायेगा।

7. इन सदस्यों को उनके नियत कार्य के सम्बन्ध में जब कि विधान सभा या विधान सभा समिति जिसके लिए उनकी सेवाएं ली गई हों, सत्र में हो तो दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा क्योंकि वे अपना दैनिक भत्ता हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1971 के अधीन विधान सभा से लेंगे। यदि ये ऐसा प्रमाण-पत्र दें कि इस नियम कार्य के निष्पादन में विधान सभा या विधान सभा समिति की बैठक में भाग नहीं लिया है और उन्होंने उसके लिए विधान सभा से कोई दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं किया है तो उन्हें निर्धारित दर पर दनिक भत्ता दिया जायेगा।

गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता के कारण यदि अतिरिक्त भुगतान हो गया हो तो हिमाचल प्रदेश राजकोष नियमों के नियम 4.17 और 6.1 में दिए गए प्रावधान पूर्णरूपेण (म्यूटेटिस म्यूटेंडिस) लागू होंगे।

सदस्य ऐसा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और परिवहन भत्ता प्राप्त नहीं करेगा जिससे वह विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाए।

प्रतिलिपि संख्या 12-13/75-एन (सैक्ट) दिनांक 14 अगस्त,

1978 को (अधिसूचना) अनंग पाल, सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़, शिमला-171003 को तथा अन्य को प्रेषित।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश के जिलों में जिला कृषि अधिकारियों तथा सहायक भू-संरक्षण अधिकारियों के इलावा उप-कृषि निदेशक/परियोजना अधिकारी जो कि जिलों के नियन्त्रण अधिकारी होने के अतिरिक्त जिलों में हर प्रकार की विभागीय गतिविधियों के निष्पादन के प्रति भी उत्तरदायी हैं, तैनात हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 5 मई, 1978 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सहायक भू-संरक्षण अधिकारियों की बजाए उन अधिकारियों को अर्थात् सम्बन्धित उप-कृषि निदेशकों/परियोजना अधिकारियों को पूर्व कथित अधिसूचना द्वारा गठित जिला भूमि विकास समितियों के सहर्ष सचिव नियुक्त करते है।

## HIMACHAL PRADESH FIFTH VIDHAN SABHA

### NOTIFICATION

*Shimla*-171004, *the 18th February*, 1983

No. 1-6/83-VS.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 18th February, 1983 is published for general information:—

"मैं, अशोक नाथ बनर्जी, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा का आह्वान सोमवार, 7 मार्च, 1983 को अपराह्न 2.00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-171 004 में समवेत होने के लिए करता हूं।

अशोक नाथ बनर्जी,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।"

स्थान: शिमला

By order,
V. VERMA,
*Secretary.*

हिमाचल प्रदेश पंचम विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171 004, 18 फरवरी, 1983

संख्या 1-6/83-वि0 स0.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 18 फरवरी, 1983 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

"मैं, अशोक नाथ बनर्जी, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा का आह्वान सोमवार, 7 मार्च, 1983 को अपराह्न 2.00 बजे से परिषद भवन, शिमला-171004 में समवेत होने के लिए करता हुं।

अशोक नाथ बनर्जी,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

स्थान : शिमला

आदेश द्वारा,
विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव।

## भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

*Dharamshala, the 29th January*, 1983

No. SEV/WS/LA-381-84.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Bhawan-Ladwara road km. 2/0 to 3/0 (Manooni Bridge) in Tehsil and District Kangra, Himachal Pradesh, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose.

The declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh Public Works Department, is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh P. W. D., Kangra,

### SPECIFICATION

*District*: KANGRA *Tehsil*: KAGNRA

| Mohal<br>1 | Khasra No.<br>2 | Area in Hect.<br>3 |
|---|---|---|
| TATEHAR | 1/2 | 0 04 82 |
| | 10/2 | 0 00 44 |
| | 21/2 | 0 03 35 |
| | 20/2 | 0 00 80 |
| | 482 | 0 00 16 |
| | 483 | 0 00 64 |
| | 481 | 0 03 55 |
| | 484 | 0 01 56 |
| | 485 | 0 01 76 |
| | 479 | 0 02 70 |
| | 467 | 0 27 30 |
| | 465 | 0 00 12 |
| | 466 | 0 00 09 |
| | 539 | 0 58 09 |
| | 488/1 | 0 04 87 |
| | 511/1 | 0 02 00 |
| | 406/1 | 0 04 17 |
| | 464/1 | 0 00 16 |
| | 459/1 | 0 00 33 |
| | 458/1 | 0 00 66 |
| | 439/1 | 0 00 09 |
| | 438/1 | 0 00 09 |
| | 437/1 | 0 00 15 |
| | 436/1 | 0 00 09 |
| | 427/1 | 0 00 68 |
| | 435/1 | 0 00 06 |
| | 434/1 | 0 00 18 |
| | 429/1 | 0 00 46 |
| | 428 | 0 00 77 |
| Kitta .. | 29 | 1 20 14 |
| TAHAR PAURA | 33/1 | 0 01 76 |
| | 37/1 | 0 00 16 |
| | 38/1 | 0 00 18 |
| | 42/1 | 0 00 35 |
| | 34 | 0 03 10 |
| | 35 | 0 04 83 |
| | 36 | 0 07 20 |
| Kitta | 7 | 0 17 58 |
| Grand Total | .. | 1 37 72 |

Sd/-
*Superintending Engineer,*
*5th Circle, H.P.P.W.D. Dharamshala.*

*Mandi, the 4th February*, 1983

No. SEI-R-25-135/82-1752-55.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is likely to be required to be taken by the Himachal Pradesh Government at the public expense for a public purpose, namely for Jarol-Behna road, it is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality may, within thirty days of publication of this notification, file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition, H.P. P.W.D., Mandi and Kulu.

SPECIFICATION

*District*: MANDI *Tehsil*: SUNDERNAGAR

| Locality | Khasra No. | Area Big. | Bis. | Bisw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JAROL | 1541/1 | 0 | 1 | 3 |
| | 1557/1 | 0 | 0 | 11 |
| | 1555/1 | 0 | 1 | 10 |
| | 1556 | 0 | 3 | 9 |
| | 1777/1 | 0 | 4 | 8 |
| | 1595/1 | 0 | 5 | 3 |
| | 1781/1 | 0 | 15 | 18 |
| | 1544/1 | 0 | 0 | 18 |
| | 1782/1 | 1 | 3 | 3 |
| | 1506/1 | 0 | 4 | 3 |
| | 1510/1 | 0 | 2 | 10 |
| | 1509 | 0 | 2 | 11 |
| | 1483/1 | 0 | 2 | 6 |
| | 1500/1 | 0 | 5 | 1 |
| | 1508/1 | 0 | 6 | 8 |
| | 1562/1 | 0 | 2 | 17 |
| | 1501 | 0 | 4 | 10 |
| | 1505 | 0 | 1 | 17 |
| | 1635/1 | 0 | 4 | 16 |
| | 1634/1 | 0 | 2 | 5 |
| | 1636/1 | 0 | 5 | 15 |
| | 1507/1 | 0 | 1 | 15 |
| | 1529/1 | 0 | 1 | 13 |
| | 1551 | 0 | 0 | 11 |
| | 1552 | 0 | 2 | 3 |
| | 1553/1 | 0 | 0 | 4 |
| | 1550/1 | 0 | 0 | 5 |
| | 3330/1774/1/1 | 0 | 1 | 14 |
| | 1778/1/1 | 0 | 4 | 0 |
| | 1739/1 | 1 | 5 | 13 |
| | 1531/1 | 0 | 2 | 6 |
| | 1499/1 | 0 | 6 | 8 |
| | 1543/1 | 0 | 3 | 0 |
| Kitta .. | 33 | 7 | 10 | 14 |

G. N. RAMASWAMIAH,
*Superintending Engineer,*
*1st Circle, H.P. P.W.D., Mandi.*

## भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनैन्शल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Simla-2, the 21st November*, 1981

**No. PLG(A) 3-1/78.**—In exercise of the powers vested by proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, in supersession of Recruitment and Promotion Rules notified *vide* No. 8-28/60-Fin(R&E), dated 12th July, 1962 is pleased to frame the Recruitment and Promotion Rules in respect of the following Class-III posts in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh, as per Annexures 2 to 8.

1. Statistical Asstts./Investigators/Investigators (Scrutiny).
2. Field Investigators Grade-I.
3. Field Investigators Grade-II/Computors.
4. Draftsman.
5. Hindi Translator.
6. Duplicating Machine Operator.
7. Driver.

2. These rules shall come into force from the date of issue of this notification.

परिशिष्ट 2

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम | 1. सांख्यकीय सहायक<br>2 अन्वेषक<br>3 अन्वेषक (संविक्षा) |
| 2. | पदों की संख्या | 16 |
| 3. | वर्गीकरण | तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) |
| 4. | वेतनमान | रु0 570-15-600-20-700/25-850-30-1000-40-1080 । |
| 5. | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद | अप्रवरण पद । |
| 6. | सीधी भर्ती वालों के लिये आयु । | 18—30 वर्ष |
| 7. | सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें । | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में ग्रेजुयेशन की हो तथा या तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेटिस्टिक्स में एक वर्ष की ट्रेनिंग की हो अथवा परिगणन कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो। |
| 8. | क्या पदोन्नति की स्थिति में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हतायें पदोन्नत व्यक्तियों के लिये प्रयोज्य होगी । | नहीं |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो । | 2 वर्ष जिस को नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं कारणों से जो लिखित रूप में होंगे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं । |
| 10. | भर्ती का ढंग क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों से रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता । | 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा एवं 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । |
| 11. | पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में वह वेतन क्रम जिस में से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । | पदोन्नति द्वारा : क्षेत्रीय अन्वेषक-1 जिनका इन पदों पर अनुभव कार्यकाल 3 वर्ष का हो । |
| 12. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इस की रचना क्या है । | वह समिति जो समय-समय पर सरकार द्वारा रची गई हो । |
| 13. | परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत लोक सेवा | कानून के अनुसार । |

आयोग का परामर्श भर्ती के लिये लेना है ।

पाद टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त सेवा या पद के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हो:—
(क) भारतीय नागरिक, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती विस्थापित हो जो कि 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणतन्त्र तंजानिया इससे पूर्व तांगानीका और जन्जीबार, जांबिया, मालवी, ज़ेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो:

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिस का भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो ।

परन्तु जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाये जब कि उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो ।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है ।

3. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि से गिनी जायेगी।

4. सीधी भर्ती की स्थिति में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।

5. जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किये जायेंगे ।

6. जबकि सरकार की यह राय हो कि यह करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह लिखित रूप में इस के कारण रिकार्ड पर के तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श ले कर व्यक्तियों अथवा पद की किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है ।

7. सीधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग ऐसा आवश्यक अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा द्वारा, जिसका स्तर, पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग द्वारा निर्धारित होगा अथवा व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

8. ऐसे सभी प्रकरणों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति आदि) विचार पात्र होता है तो सम्बन्ध वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति ऐसे विचार के लिये पात्र माने जायेंगे और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेंगे :

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये विचाराधीन हों, उन को कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहंकारी सेवा होनी चाहिये अथवा वह अर्हता जो कि ऐसे पद/सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो, दोनों में से जो भी कम हो :

आगे उपबन्धित है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्धारित के कारण पदोन्नति/स्थाईकरण हेतु विचार करने के लिये अयोग्य होता हो तो ऐसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हों, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये अयोग्य समझा जायेगा ।

9. शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों की सभी कर्मचारियों जो इन शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इन से पहले अन्तर्लयन सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये हों और इन शासकीय क्षेत्र में निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों ।

10. उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा ।

---

परिशिष्ट-3

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम | क्षेत्रीय अन्वेषक ग्रेड-1 |
| 2. | पदों की संख्या | 14 |
| 3. | वर्गीकरण | तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) |
| 4. | वेतनमान | 450-15-525/15-600/20-700-25-800 |
| 5. | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद। | अप्रवरण पद |
| 6. | सीधी भर्ती वालों के लिये आयु। | 18 से 30 वर्ष |
| 7. | सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें। | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/ अर्थशास्त्र/ वाणिज्य में इन्टरमीडियट या उसके समान परीक्षा पास की हो तथा गणना एवं परिगणन का ज्ञान रखता हो तथा हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों के दौरे का अभ्यास रखता हो ।<br>उन व्यक्तियों को जो हिन्दी व अंग्रेजी टाइप जानते हों प्राथमिकता दी जायेगी। |
| 8. | क्या पदोन्नति की स्थिति में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें पदोन्नत व्यक्तियों के लिये प्रयोज्य होगी। | नही |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | 2 वर्ष जिसे नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं कारणों से जो लिखित रूप में होंगे एक वर्ष के लिये बढ़ा सकते हैं । |
| 10. | भर्ती का ढंग:<br>क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों से रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता। | 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा व 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। |
| 11. | पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में वह वेतन | पदोन्नति द्वारा :—<br>(i) क्षेत्रीय अन्वेषक-II<br>(ii) गणक |

| | |
|---|---|
| क्रम जिस में से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है। | जिनका अपने पद पर अनुभव कार्य-काल 3 वर्ष का हो। |
| 12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इस की रचना क्या है। | वह समिति जो समय समय पर सरकार द्वारा रची गई हो। |
| 13. परिस्थितियां जिन के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती करने के लिये लेना है। | कानून के अनुसार। |

पाद टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त सेवा या पद के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हों :—
   (क) भारतीय नागरिक, या
   (ख) नेपाल की प्रजा, या
   (ग) भूटान की प्रजा, या
   (घ) तिब्बती विस्थापित हो जो कि 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो, या
   (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, यूगांडा, संयुक्त गणतन्त्र तंजानिया इससे पूर्व तांगानीका और जन्जीबार, जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिस का भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

प्रत्याशी जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाये जब कि उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

2. अनुसूचित जातियों/अनसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है।

3. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि से गिनी जायेगी।

4. सीधी भर्ती की स्थिति में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी।

5. जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किये जायेंगे।

6. जबकि सरकार की यह राय हो कि यह करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर व्यक्तियों अथवा पद की किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है।

7. सीधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग ऐसा आवश्यक अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा द्वारा, जिसका स्तर, पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग द्वारा निर्धारित होगा अथवा व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

8. ऐसे सभी प्रकरणों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति आदि) विचार पात्र होता है तो सम्बद्ध वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति ऐसे विचार के लिये पात्र माने जायेंगे और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेंगे :

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये विचाराधीन हों, उन की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा होनी चाहिये अथवा वह अर्हता जो कि ऐसे पद/सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो, दोनों में से जो भी कम हो :

आगे उपबन्धित है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्धारित के कारण पदोन्नति/स्थाईकरण हेतु विचार करने के लिये अयोग्य होता हो तो ऐसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हो, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये अयोग्य समझा जायेगा।

9. शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जो इन शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इन से पहले अन्तर्लय सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी। इस प्रकार की छूट शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमो/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये हों और इन शासकीय क्षेत्र में निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों।

10. उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

परिशिष्ट–4

| | |
|---|---|
| 1. पद क नाम | 1. क्षेत्रीय अन्वेषक ग्रेड–II<br>2. गणक |
| 2. पदों की संख्या | 15 |
| 3. वर्गीकरण | तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) |
| 4. वेतनमान | रु0 400-10-450/15-525/15-600/20-660 |
| 5. क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद। | अप्रवरण पद |
| 6. सीधी भर्ती वालों के लिये आयु। | 18 वर्ष से 30 वर्ष तक |
| 7. सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें। | किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक व उसके समान परीक्षा पास की हो तथा गणक मशीन को चलाने का अच्छा ज्ञान रखता हो।<br><br>उन व्यक्तियों को जो हिन्दी व अंग्रेजी टाइप जानते हों को प्राथमिकता दी जायेगी। |
| 8. क्या पदोन्नति की स्थिति में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें पदोन्नत व्यक्तियों के लिये प्रयोज्य होगी। | नही |
| 9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | 2 वर्ष जिसे नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं कारणों से जो लिखित रूप में होंगे एक वर्ष के लिये बढ़ा सकते हैं। |
| 10. भर्ती का ढंग : क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों से रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता। | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। |
| 11. पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में वह वेतन क्रम जिसमें से पदोन्नति/ | — |

| | |
|---|---|
| प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाना है। | |
| 12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी रचना क्या है। | वह समिति जो समय-समय पर सरकार द्वारा रची गई हो। |
| 13. परिस्थितियां जिन के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती करने के लिये लेना है। | कानून के अनुसार। |

पाद टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त सेवा या पद के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हों :—

(क) भारतीय नागरिक, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती विस्थापित हो जो कि 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणतन्त्र तंजानिया इससे पूर्व तांगानिका और जन्जीबार, जाम्बिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिस का भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

प्रत्याशी जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाये जब कि उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है।

3. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि से गिनी जायेगी।

4. सीधी भर्ती की स्थिति में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यता में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी।

5. जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किये जायेंगे।

6. जबकि सरकार की यह राय हो कि यह करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर व्यक्तियों अथवा पद को किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है।

7. सीधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग ऐसा आवश्यक अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा द्वारा, जिस का स्तर, पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग द्वारा निर्धारित होगा अथवा व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

8. ऐसे सभी प्रकरणों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति आदि) विचार पात्र होता है तो सम्बन्ध वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति ऐसे विचार के लिये पात्र माने जायेंगे और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेंगे :

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये विचाराधीन हों, उनकी कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा होनी चाहिये अथवा वह अर्हता जो कि ऐसे पद/सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो, दोनों में से जो भी कम हो :

आगे उपबन्धित है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्धारित के कारण पदोन्नति/स्थाईकरण हेतु विचार करने के लिये अयोग्य होता हो तो ऐसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हो, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये अयोग्य समझा जायेगा।

9. शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जो इन शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इन से पहले अन्तर्लय सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी। इस प्रकार की छूट शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये हों और इन शासकीय क्षेत्र में निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों।

10. उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

---

परिशिष्ट—5

| | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | नक्शानवीस (ड्राफ्टसमैन) |
| 2. पदों की संख्या | 2 |
| 3. वर्गीकरण | तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) |
| 4. वेतनमान | रु0 570-15-600-20-700/25-850-30-1000-40-1080) |
| 5. क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद | अप्रवरण पद। |
| 6. सीधी भर्ती वालों के लिये आयु। लिये आयु। | 18 वर्ष से 30 वर्ष तक |
| 7. सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं। | किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मट्रिक व उस के समान परीक्षा पास तथा किसी सांख्यकीय कार्यालय में नक्शे, चार्ट्स एवम् ग्राफ्स बनाने का 3 वर्ष का अनुभव।<br><br>किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शानवीस में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। |
| 8. क्या पदोन्नति की स्थिति में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के लिये प्रयोज्य होगी। | नहीं |
| 9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | दो वर्ष जिसे नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं कारणों से लिखित रूप में होंगे एक वर्ष बढ़ा सकते हैं। |
| 10. भर्ती का ढंग : | |
| क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों से रिक्त | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |

| | |
|---|---|
| स्थानों को भरने की प्रतिशतता। | |
| 11. पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति तथा स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में वह वेतन क्रम जिस में से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति तथा स्थानान्तरण किया जाना है। | — |
| 12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो इस की रचना क्या है। | वह समिति जो समय समय पर सरकार द्वारा रखी गई हो। |
| 13. परिस्थितियां जिन के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती करने के लिये लेना है। | कानून के अनुसार |

पाद टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त सेवा या पद के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हो :

(क) भारतीय नागरिक, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती विस्थापित हो जो कि 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, यूगांडा, संयुक्त गणतन्त्र तंजानिया इससे पूर्व तांगानिका और जन्जीबार, जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रुप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिस का भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

प्रत्याशी जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जायेगा जब कि उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है।

3. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि से गिनी जायेगी।

4. सिधी भर्ती की स्थिति में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी।

5. जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किये जायेंगे।

6. जबकि सरकार की यह राय हो कि यह करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर व्यक्तियों अथवा पद की किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है।

7. सीधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग ऐसा आवश्यक अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा द्वारा, जिस का स्तर, पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग द्वारा निर्धारित होगा अथवा व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

8. ऐसे सभी प्रकरणों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति आदि) विचार पात्र होता है तो सम्बन्ध वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति ऐसे विचार के लिये पात्र माने जायेंगे और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेंगे :

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थाइकरण के लिये विचाराधीन हों, उनकी कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा होनी चाहिये अथवा वह अर्हता जो कि ऐसे पद/सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो, दोनों में से जो भी कम हो :

आगे उपबन्धित है कि जब कोई व्यक्ति पूर्व वर्ती परन्तुक में निर्धारित के कारण पदोन्नति/स्थाइकरण हेतु विचार करने के लिये अयोग्य होता हो तो ऐसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हों, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाइकरण के लिये अयोग्य समझा जायेगा।

9. शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जो इन शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इन से पहले अन्तर्लयन सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी। इस प्रकार की छूट शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये हों और इन शासकीय क्षेत्र के निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों।

10. उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिए सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

---

परिशिष्ट-6

| | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | हिन्दी अनुवादक |
| 2. पदों की संख्या | एक |
| 3. वर्गीकरण | क्लास तीन (अराजपत्रित) |
| 4. वेतनमान | रु0 570-15-600-20-700/25-850/30-1000-40-1080. |
| 5. क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण | अप्रवरण पद। |
| 6. सीधी भर्ती वालों के लिये आयु। | कम से कम 18 वर्ष अधिक से अधिक 30 वर्ष। |
| 7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं। | अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक की डिग्री जिस में एक विषय हिन्दी हो। डिजायरेबल : हिमाचल प्रदेश की रीति रिवाजों तथा बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश के विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता। |
| 8. क्या पदोन्नति की स्थिति में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के लिये प्रयोज्य होगी। | नहीं |
| 9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | दो वर्ष लिखित रूप में विशेष परिस्थितियों में यह नियुक्ति अधिकारी द्वारा एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। |

10. भर्ती का ढंग :

क्या सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति द्वारा/पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र व्यक्ति न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा।

अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों से रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता।

11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।

वरिष्ठ लिपिक जो कम से कम हिन्दी विषय के साथ इंटरमीडियेट या इसके बराबर शैक्षिक योग्यता रखता हो वह वेतन क्रम जिसमें और जिस का पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो की गई हो।

जैसा समय समय पर सरकार द्वारा गठित इसकी रचना क्या है।

13. परिस्थितियां जिन के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती करने के लिये लेना है।

जैसा इस सम्बन्ध में कानून में हो

पाद टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त सेवा या पद के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हो :—

(क) भारतीय नागरिक, या

(ख) नैपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती विस्थापित हो जो कि 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, यूगांडा, संयुक्त गणतन्त्र तंजानिया इससे पूर्व तांगानिका और जन्जीबार, जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिस को भारत सरकार/राज्य सरकार/ने पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

प्रत्याशी जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जायेगा जब कि उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है।

3. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि से गिनी जायेगी।

4. सीधी भर्ती की स्थिति में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं से आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी।

5. जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किये जायेंगे।

6. जबकि सरकार की यह राय हो कि यह करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर व्यक्तियों अथवा पद को किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है।

7. सीधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग ऐसा आवश्यक अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा द्वारा, जिस का स्तर, पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग द्वारा निर्धारित होगा अथवा व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

8. ऐसे सभी प्रकरणों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति आदि) विचार पात्र होता है तो सम्बन्ध वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति ऐसे विचार के लिये पात्र माने जायेंगे और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेंगे :

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थायीकरण के लिये विचाराधीन हों, उनकी कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा होनी चाहिये अथवा वह अर्हता जो कि ऐसे पद/सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो, दोनों में से जो भी कम हो :

आगे उपबन्धित है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्धारित के कारण पदोन्नति/स्थाइकरण हेतु विचार करने के लिये अयोग्य होता हो तो ऐसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हो, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाइकारण के लिये अयोग्य समझा जायेगा।

9. शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जो इन शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इन से पहले अन्तर्लंपत सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी। इस प्रकार की छूट शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त नियमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये हों और इन शासकीय क्षेत्र में निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों।

10. उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों पिछड़े वर्गों, अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

परिशिष्ट—7

| | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | अनुलिपिक चालक (डुप्लिकेटिंग मशीन आपरेटर) |
| 2. पदों की संख्या | 1 |
| 3. वर्गीकरण | तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) |
| 4. वेतनमान | रुपये 400-10-450/15-525/15-600. |
| 5. क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद। | अप्रवरण पद |
| 6. सीधी भर्ती वालों के लिये आयु | 18 से 30 वर्ष तक |
| 7. सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं। | दसवीं तक (स्कूल शिक्षा पास) तथा अनुलिपिक (डुप्लिकेटिंग मशीन) चलाने का 2 वर्ष का अनुभव। |
| 8. क्या पदोन्नति की स्थिति में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताये पदोन्नत व्यक्तियों के लिये प्रयोज्य होगी। | नहीं। |
| 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | 2 वर्ष जिसे नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं कारणों से जो लिखित रूप से होंगे एक वर्ष बढ़ा सकते हैं। |
| 10. भर्ती का ढंग: | |
| क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों से रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता। | 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा लेकिन उपयुक्त पात्र न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा। |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में वह वेतन क्रम जिसमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है। | दफतरी से जिस का इस पद पर 3 वर्ष का अनुभव हो। |
| 12. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इस की रचना क्या है। | वह समिति जो समय-समय पर सरकार द्वारा रची गई हो। |
| 13. | परिस्थितियां जिन के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती करने के लिये लेना है। | कानून के अनुसार। |

पाद टिप्पणियां :—

1. उपर्युक्त सेवा या पद के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हों :—

(क) भारतीय नागरिक, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती विस्थापित हो जोकि एक जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो, पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणतन्त्र, तंजानिया, इससे पूर्व तांगानीका और जन्जीबार, जाबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो।

उपबन्धित है कि वर्ग (ख) (ग) (घ) (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो।

प्रत्याशी जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया जाये जब कि उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण पत्र भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है।

3. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि से गिनी जायेगी।

4. सीधी भर्ती की स्थिति में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी।

5. जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किये जायेंगे।

6. जबकि सरकार की यह राय है कि यह करना आवश्यक अथवा उचित है तो यह लिखित रूप में इस के कारण रिकार्ड करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर व्यक्तियों अथवा पद की किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है।

7. सीधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग ऐसा आवश्यक अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा द्वारा, जिसका स्तर, पाठयक्रम इत्यादि आयोग द्वारा निर्धारित होगा अथवा व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

8. ऐसे सभी प्रकरणों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति आदि) विचार पात्र होता है। तो सम्बन्धित वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति ऐसे विचार के लिये पात्र माने जायेंगे और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेंगे।

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये विचाराधीन हों, उनकी कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहंकारी सेवा होनी चाहिये अथवा वह अर्हता जोकि ऐसे पद/सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो, दोनों में से जो भी कम हो।

आगे उपबन्धित है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्धारित के कारण पदोन्नति/स्थाईकरण हेतु विचार करने के लिये अयोग्य होता हो तो ऐसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हो, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये अयोग्य समझा जायेगा।

9. शामकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जो इन शामकीय क्षेत्र निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनसे पहले अन्तर्वलयन सरकारी कर्मचारी थे को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी। इस प्रकार की छूट शामकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये हों और इन शामकीय क्षेत्र में निगमों स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों।

10. उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवार इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

परिशिष्ट—8

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम | वाहन चालक |
| 2. | पदों की संख्या | 3 |
| 3. | वर्गीकरण | तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)। |
| 4. | वेतनमान | रु0 400-10-450/15-525/15-600। |
| 5. | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद। | अप्रवरण पद। |
| 6. | सीधी भर्ती वालों के लिये आयु। | 18 से 30 वर्ष। |
| 7. | सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं। | पहाड़ी स्थानों पर छोटी गाड़ी चलाने का लाईसैन्स तथा इन्जन व इस की सम्भाल का ज्ञान। वह व्यक्ति जो दसवीं पास हो उसे प्राथमिकता दी जायेगी। |
| 8. | क्या पदोन्नति की स्थिति में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें पदोन्नत व्यक्तियों के लिये प्रयोज्य होगी। | नहीं। |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है। | दो वर्ष जिसे नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं कारणों से जो लिखित रूप में होगें एक वर्ष बढ़ा सकते हैं। |
| 10. | भर्ती का ढंग :— क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों से रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता। | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। |
| 11. | पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे वेतन क्रम जिस | — |

में से पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी रचना क्या है। — वह समिति जो समय-समय पर सरकार द्वारा रची गई हो।

13. परिस्थितियां जिन के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती करने के लिये लेना है। — कानून के अनुसार।

नोट टिप्पणियां :—

1. उपयुक्त सेवा या पद के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हो :—

(क) भारतीय नागरिक, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती विस्थापित हो जोकि एक जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रुप से रहने के उद्देश्य से आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणतंत्र, तजानिया इससे पूर्व तांगानिका और जन्जीबार, जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रुप से रहने के उद्देश्य से आया हो।

उपबन्धित है कि वर्ग (ख) (ग) (घ) (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसका भारत सरकार/ राज्य सरकार ने पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो।

प्रत्याशी जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्त का प्रस्ताव भी दिया जाये जब कि उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण पत्र भारत सरकार/ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

2. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है।

3. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि से गिनी जायेगी।

4. सीधी भर्ती की स्थिति में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी।

5. जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किये जायेंगे।

6. जबकि सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह लिखित रुप में इसके कारण रिकार्ड करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर व्यक्तियों अथवा पद की किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है।

7. सीधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग ऐसा आवश्यक अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा द्वारा, जिसका स्तर, पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग द्वारा निर्धारित होगा अथवा व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

8. ऐसे सभी प्रकरणों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति आदि) विचार पात्र होता है तो सम्बन्धित वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति ऐसे विचार के लिये पात्र माने जायेंगे। और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जायेंगे।

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थाईकरण के लिए विचाराधीन हो, उनकी कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा होनी चाहिए अथवा वह अर्हता जोकि ऐसे पद/सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो, दोनों में से जो भी कम हो।

आगे उपबन्धित है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्धारित के कारण पदोन्नति/स्थाईकरण हेतु विचार करने के लिये अयोग्य होता हो तो ऐसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हो, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाईकरण के लिये आयोग्य समझा जायेगा।

9. शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जो इन शासकीय क्षेत्र निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनसे अन्तर्लयन सरकारी कर्मचारी थे को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी। इस प्रकार की छूट शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये हों और इन शासकीय क्षेत्र में निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिमारूप से उन निगमों(स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीन हो गये हों।

10. उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के आधीन होगा।

M. S. MUKHERJI,
*Secretary.*

---

कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 20 मार्च, 1982

संख्या कल्याण-क(3)-2/79.—हिमाचल प्रदेश बाल अधिनियम 1979 की धारा 65 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

हिमाचल प्रदेश बाल-नियम, 1981

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश बालक नियम, 1981 कहे जा सकते हैं।

(2) तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश बाल अधिनियम 1979 (1979 का अधिनियम संख्यक 21) अभिप्रेत है;
(ख) "उपस्थिति केन्द्र" से अभिप्रेत है, वह स्थान जो निरीक्षक द्वारा समय-समय पर नियुक्त बाल अथवा माता-पिता संरक्षक अथवा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उपयुक्त व्यक्ति की देख रेख में रखे गए, बालकों ऐसे-ऐसे दिन ऐसे समय जो इस निमित मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्णय किया जाए उपस्थिति हेतु नियत किया गया है;
(ग) "मुख्य निरीक्षक" से अधिनियम अथवा इन नियमों के प्रयोजनार्थ मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार का अधिकारी अभिप्रेत है;
(घ) "न्यायालय" से बाल न्यायालय अभिप्रेत है;
(ङ) "प्रपत्र" से इन नियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;
(च) "गृह" से बाल गृह अथवा प्रेक्षण गृह अभिप्रेत है;
(छ) प्रबन्धक से धारा 9, 10 अथवा 11 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित गृह अथवा स्कूल का प्रबन्ध करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।
(ज) "संस्था" से अभिप्रेत है और उसम अन्तर्गत आता है बाल गृह, विशेष स्कूल, अथवा प्रेक्षण गृह।
(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
(ञ) स्कूल से विशेष स्कूल अभिप्रेत है;
(ट) "अधीक्षक" से इन नियमों के नियम-25 के उप-नियम

(1) के अधीन गृह अथवा स्कूल के नियन्त्रण अथवा अधीक्षण हेतु नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है

(ठ) अन्य सभी प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, के अर्थ जो परिभाषित नहीं है। वही होंगे जो उन्हें अभिनियम में दिए गए हैं।

3. अधिकारियों की नियुक्ति.—अधिनियम तथा नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार समय-समय पर निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा निबंन्धनों एवं शर्तों पर जैसी कि वह समय-समय पर विहित करे, नियुक्त कर सकती है:—

(क) मुख्य निरीक्षक,

(ख) निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक।

(ग) ऐसे अन्य अधिकारी जैसे आवश्यकता हो।

4. भरती, प्रशिक्षण तथा सेवा के निबंन्धन व शर्तें.—अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियुक्त व्यक्तियों के भर्ती एवं प्रशिक्षण को शासित करने वाले नियम और उनको सेवा निबंन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी समय-समय पर सरकार विहित की जाएगी।

5. परिवीक्षा अधिकारी की अर्हताएं और कर्त्तव्य.—(1) परिवीक्षा अधिकारी की अर्हताऐं ऐसी होगीं जैसी कि सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जायेगी।

(2) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त होने पर और इन नियमों के नियम 12 के अन्तर्गत बाल कल्याण बोर्ड के आदेश पर परिवीक्षा अधिकारी बच्चे, को पूर्ववर्त्ति और परिवार के पूर्ण इतिहास की, तथा ऐसे अनुदैहिक परिस्थितियों की जो आवश्यक है जांच पड़ताल तथा प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रपत्र 1 के अनुसार सक्षम अधिकारी को, यथा सम्भव शीघ्र परन्तु 10 सप्ताह के भीतर और ऐसी अगली अवधि के भीतर जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत की जाएगी।

(3) प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी सक्षम प्राधिकारी तथा मुख्य निरीक्षक द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों को कार्यान्वित करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा :—

(1) अपनी देखरेख में गृह और स्कूल दशा, शिशुओं के आचरण चरित्र और स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करना।

(2) अधिकारी के न्यायालय में नियमित रुप से उपस्थित होने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने।

(3) डायरी, केस फाईल तथा ऐसे रजिस्टर व्यवस्थित करने जो समय-समय पर विहित किए जाएंगे।

(4) अपनी देख-रेख के अन्तर्गत रखे गए बच्चों के स्थानों और नियोजन के स्थानों अथवा ऐसे बालकों द्वारा उपस्थित हुए स्कूलों का दौरा करने और प्रपत्र-II में यथा शीघ्र नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने।

(5) बालकों को सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय या प्रेक्षण गृह से यथा सम्भव बाल गृह, स्कूल या अनुरक्षण संस्था में ले जाना।

(6) उन बालकों को जो देख-रेख की अवधि के दौरान अच्छे आचरण के न रहे हों, तत्काल सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाना।

(7) परिवीक्षा अधिकारी, अपनी देख-रेख के अन्तर्गत रखे गए बालक को अपने निजि काम में नहीं लगाएगा और न ही उससे निजि सेवा प्राप्त करेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैठकों का आयोजन करना.—सक्षम प्राधिकारी इसकी बैठक का गृह के परिसर में ऐसे दिन और ऐसे समय पर आयोजन करेगा जो सरकार द्वारा समय-समय नियत किया जाएगा।

7. जांच पड़ताल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्राक्रिया.—(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी मामले में कार्यवाहियां यथा सम्भव सरल ढंग से संचालित की जाएगी और किसी भी तरह की अनावश्यक औपचारिकता नहीं की जाएगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस बाल के विरुध कार्यवाही की जा रही है वह कार्यवाही के दौरान घरेलू वातावरण ही अनुभव करें।

(2) सक्षम प्राधिकारी इस बात का भी ध्यान रखेगा कि उसके समक्ष लाया गया बाल पुलिस अधिकारी की निगरानी के अन्तर्गत न रखा जाए अपितु वह, अपने किसी रिश्तेदार या मित्र या परिवीक्षा अधिकारी की संगति में किसी सुविधाजनक स्थान पर जो इसके लिए यथा सम्भव निकट हो, उठ बैठ सकें।

8. गवाह जिनसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाने हैं.—जब परीक्षण के लिए गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं तो सक्षम प्राधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का खुला प्रयोग करते हुए उनसे वह सभी प्रश्न पूछ सकता है जिनसे बालक के पक्ष में कोई सूत्र निकलते हों।

9. बाल बच्चे का परीक्षण.—बाल के परीक्षण तथा उसके कथन अभिलेख करते समय, सक्षम अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 281 के उपबन्धों से बाध्य नहीं होगा। परन्तु वह बालक से किसी भी उचित ढंग से जिससे बालक स्वंय को निश्चित समझें वह न केवल उन अपराधों के सम्बन्ध जिनके लिए वह अभियुक्त है परन्तु अपने घर के वातावरण तथा जिनका उस पर प्रभाव है उन सबके बारे में तथ्य बता सकें, सम्बोधित करेगा और परीक्षण का अभिलेख इस ढंग से होगा जिसे सक्षम अधिकारी, कथनों के अन्तर्गत और परिस्थितियां जिन में वे की गई हैं को ध्यान में रखते हुए उचित समझेगा।

10. बालकों की आयु, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था के बारे डाक्टरी राय.—बालक से सम्बन्धित प्रत्येक मामले में, सक्षम अधिकारी बालक की उम्र, उसकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था के बारे में डाक्टरी राय प्राप्त करेगा और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय डाक्टरी राय और ऐसे अन्य सक्षम जो प्राप्य हो, को ध्यान में रखते हुए उसकी आयु के बारे में अपना अभिलेख करेगा।

11. बाल कल्याण बोर्ड द्वारा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का मांगा जाना.—धारा 14 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर या धारा 13 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जब कभी गिरफतार व्यक्ति को धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत बोर्ड के समक्ष लाया जाती है या जब कभी धारा 17 के अन्तर्गत बाल के मां बाप या संरक्षक द्वारा शिकायत की जाती है तो बोर्ड प्रायः परिवीक्षा अधिकारी को प्रपत्र–III में आदेश दे सकता है कि वह बाल के चरित्र तथा उसकी सामाजिक पूर्ववर्त्ति बारे में जांच पड़ताल करें।

12. सक्षम अधिकारी द्वारा बालक सम्बन्धित सूचना देना.—जब कभी सक्षम प्राधिकारी बाल को बाल गृह या स्कूल में रोकने के आदेश देता है तो इसके निर्णय या आदेशों को प्रति, जिसके साथ प्रपत्र I में रोकने के वांरट तथा बाल उम्र तथा पते सम्बन्धी कोई जानकारी, यदि हो और उसमें घर का कोई विवरण, व पूर्व रिकॉर्ड जिसका पता लगाया गया है, भी होगें, गृह या स्कूल के अधीक्षक को प्रेषित की जाएगी।

13. देखरेख आदेश का प्रपत्र.—(1) जब बाल मां बाप या संरक्षक की देखरेख में रखा गया हो और सक्षम प्राधिकारी बाल को परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखाना समीचीन समझें तो वह प्रायः देख रेख आदेश, प्रपत्र–5 में जारी करेगा।

(2) जब बाल को बाल न्यायालय द्वारा धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए हों और उसे परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने के आदेश दिए गए हो तो बाल न्यायालय, देखरेख आदेश प्रपत्र–IV में जारी करेगा।

14. बाल कल्याण बोर्ड का गठन.—(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड के कारोबार के संचालन के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुनेगें।

(2) प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेंगा और ऐसी आगामी अवधि के लिए यदि कोई हो जसा सरकार इस सम्बन्ध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा उन्हें निर्देश देगी।

(3) सरकार, बिना कोई कारण बताए सदस्य की परावधि किसी भी समय समाप्त कर सकती है।

(4) गैर सककारी सदस्य किसी भी समय अपनी नियुक्ति से यथा सम्भव एक महीने का लिखित नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है।

(5) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के समापन पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(6) सदस्यों में कोई भी आकस्मिक रियुक्ति दूसरे सदस्य की नियुक्ति से पूरी की जाएगी और सदस्य जो उस स्थान पर मनोनीत है उस समय तक कार्यभार सम्भालेगा। मानों कि रियुक्ति घटित न हुई होती।

15. बाल न्यायालय का गठन.—(1) बाल न्यायालय, में प्रथम श्रेणी के तीन न्याय दण्डाधिकारियों की पीठ से समाविष्ट होगा जिनमें से एक को प्रमुख दण्डाधिकारी का स्थान दिया जाएगा।

(2) सुनवाई के दौरान किसी कारणवश प्रमुख दण्डाकारी की अनुपस्थिति में सब से वरिष्ठ प्रथम श्रेणी न्याय दण्डाधिकारी प्रमुख दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

16. प्रबन्धक का दायित्व.—(1) सरकार द्वारा धारा 9 या 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रमाणित बाल गृह या विशेष स्कूल के प्रबन्धक को, किसी भी बाल को वहां समर्पित करवाने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रिम सूचना दी जायेगी।

(2) जानकारी प्राप्त होने पर कथित गृह या स्कूल का प्रबन्धक बच्चे की सुपर्दगी से सम्बन्धित यदि कोई आपत्तियां हों तो उन्हें लिखित रूप से सूचित करेगा और कथित गृह या स्कूल में बाल को सुपर्दगी से पूर्व उन पर पूर्णतया विचार किया जाये जाएगा।
परन्तु जब ऐसे स्कूल या गृह द्वारा बाल को एक बार स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उसकी पढ़ाई, प्रशिक्षण, आवास, कपड़े तथा भोजन आदि के लिये बाध्य होगा। और ऐसी अवधि के लिए उसे ऐसे गृह अथवा स्कूल में रखा गया है तब तक बाल के कल्याण को पुर्निश्चिन करना उसका तब तक दायित्व होगा जब तक कि गृह अथवा स्कूल से प्रत्याहार नहीं करता है अथवा गृह अथवा स्कूल से प्रमाण पत्र वापिस नहीं लेता है। उस पूरी अवधि बाल जिसके लिए इस गृह अथवा स्कूल में रखा जाता है।

17. घातक रोगों से या मानसिक बीमारी से ग्रस्त बच्चों से व्यवहार करने का ढंग.—(1) जब, अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत गृह या स्कूल में रोका गया बाल या उचित व्यक्ति की देख रेख में रखा गया बाल किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त पाया जाए। जिसे लम्बे उपचार की आवश्यकता हो या उसे कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी हो जिसके लिए बच्चे को उपचार की जरूरत हो तो उन्हें सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नियम 13 के अन्तर्गत अनुमोदित स्थान पर या नियम 10 के अधीन स्थापित किसी संस्था में उस शेष अवधि के लिए रखा जाएगा। जिसके लिए सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार उसे अभिरक्षा में रखा गया है अथवा ऐसी अवधि जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चे के उचित उपचार के लिये आवश्यक समझकर की जाए।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन बाल को हटाने हेतु आदेश देने वाले प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि बच्चे की बीमारी या शारीरिक और मानसिक शिकायत ठीक हो गई है और यदि अभी भी मा अभिरक्षा में रखा जाना हो तो वह बच्चे के प्रभारी व्यक्ति को स्कूल या बाल गृह या उचित व्यक्ति जिसके पास से उसे ले जाया गया था, के पास भेजने के आदेश दे सकता है। अथवा यदि बच्चे का और अधिक अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता हो तो उसे छोड़ देने के आदेश दे सकता है।

(3) जहां पर छूत एवं संक्रामक बीमारी से ग्रस्त बाल के लिए उप-नियम (1) के अधीन कार्यवाही की गई है। तो उसके जीवन साथी यदि ऐसा कोई हो या संरक्षक को देने से पूर्व विवाह वाले सक्षम अधिकारी, का समाधान हो जाता है कि ऐसी कार्यवाही बाल के हित में है तो वह उसके साथी अथवा संरक्षक को यथा स्थिति चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजकर इस बात से सन्तुष्ट होने के लिए ऐसा, साथी और संरक्षक बाल को पूर्व, संक्रमित नहीं करेगा बुलाएगा।

18. अनुमोदित स्थान की मान्यता.—हिमाचल प्रदेश में और उसके बाहर किसी अस्पताल अथवा अन्य उचित स्थान अथवा संस्था को जिसका अधिभोगी अथवा प्रबन्धक घातक बीमारी अथवा मानसिक शिकायत से ग्रस्त बाल को ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक हो अस्थायी रूप में लेने के लिये तैयार हो तो अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) और नियम 1 के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अनुमोदित स्थान की मान्यता दी जा सकती है।

19. घातक बीमारियों से ग्रस्त बालकों के लिये संस्था.—यदि हिमाचल प्रदेश या उसके निकटवर्ती राज्य में, घातक रोग से ग्रस्त बालकों को भेजने के लिये जैसा कि धारा 33 की उप-धारा (1) में तथा इन नियमों के नियम 17 के उप-नियम (1) म अपेक्षित है, कोई संस्था न हो तो, सरकार द्वारा ऐसे स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे आवश्यक संस्थाएं संस्थापित की जायेगी।

20. संस्थाओं का प्रमाणिकरण अथवा मान्यता.—यदि किसी संस्था जो प्रमाणित न हो अथवा मान्यता न हो, को प्रबन्धक अधिनियम की धारा 9, 10 अथवा 11 के अधीन चाहता है कि ऐसी संस्था प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त हो, यथा स्थिति के नियम, उप-नियम सांझेदारी अनुच्छेद का प्रत्येक प्रति सोसाईटी या सांझेदारी के सदस्यों की सूची जो संस्था को चला रहे हैं व पदाधिकारियों की सूची के साथ और विवरणी जिसमें पद दर्शाए गए हैं और संस्था के सामाजिक अथवा लोक सेवा के और संस्था चलाने वाली सोसाईटी के अभिलेख के साथ, मुख्य निरीक्षक को एक लिखित आवेदन करेंगे। यह प्रमुख निरीक्षक या तो उस संस्था का एवं निरीक्षण करेगा या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा निरीक्षण करवायेगा और छात्रावास, आवास, सहवासी के सामान्य स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वास्थ्य अथवा उपलब्ध करवाये औद्योगिक प्रशिक्षण और आय के साधन सम्बन्धी संस्था म किए उपबन्ध के बारे सरकार को रिपोर्ट देगा और आयु वर्ग और लिंग से विशिष्ट सन्दर्भ के साथ प्रमाणीकरण अथवा मान्यता की सिफारिश कर सकता है।

2. सरकार, मुख्य निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त करने पर और इस बात का समाधान होने पर संस्था के पास अपने दायित्वों को निभाने के लिए प्रयाप्त वित्तीय साधन है तो संस्था की धारा 9, 10 या 11 के अन्तर्गत जैसी भी स्थिति हो, इस शर्त पर मान्यता या प्रमाणितकर्ता प्रदान करेगी कि उन्हें निम्नलिखित कार्य करने होंगे :—

(क) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए स्तरों के अनुसार बालकों को पढ़ाना प्रशिक्षित करना, आवास प्रदान करना, कपड़े तथा भोजन का देना।

(ख) मुख्य निरीक्षक या प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित परिवीक्षणा अधिकारी तथा अन्य स्टाफ का व्यवस्था की जानी।

(ग) इन नियमों और मुख्य निरीक्षक या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए किन्हीं भी निदेशों का पालन करना और इस बात को भी ध्यान में रखना कि उनका अनुपालन परिवीक्षा अधिकारियों और संस्था के कर्मियों द्वारा किया जाता हैं।

(घ) जब कभी भी अपेक्षित हो, मुख्य निरीक्षक को इसके वित्तीय स्थिति को जिसमें तुलन पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट यदि कोई सम्मिलित है, भेजा जाना।

21. प्रमाण-पत्र या मान्यता का प्रत्याहार.—(1) मुख्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर सरकार यदि अधिनियम के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त संस्था की अवस्थाओं, नियमों, उप-विधियों, और उसके प्रबन्ध अथवा अधीक्षण से असन्तुष्ट हो तो यह किसी भी समय संस्था के प्रबन्धकों को नोटिस की तामील करके घोषणा कर सकती है कि संस्था का प्रमाणीकरण अथवा मान्यता यथा स्थिति नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रत्यहार्य होगा और उक्त तिथि से संस्था धारा 9, 10 व 11 के अधीन यथा स्थिति प्रमाणित अथवा में मान्यता प्राप्त संस्था नहीं रहेगी।

(2) सरकार उप-नियम (1) के अन्तर्गत मान्यता के प्रमाण-पत्र को वापिस लेने की बजाए संस्था के प्रबन्धक को नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के लिए या जब तक नोटिस का प्रतिसहरन नहीं होता, जो पहले हो, उस संस्था में बालकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा सकती है।

परन्तु उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व संस्था के प्रबन्धक को यथा स्थिति, कारण बताओ अवसर दिया जायेगा कि क्यों न प्रमाण-पत्र या मान्यता वापिस ली जाए अथवा क्यों न बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

22. प्रबन्धक द्वारा मान्यता या प्रमाण-पत्र को छोड़ना.—संस्था का प्रबन्धक सरकार की मुख्य निरीक्षक द्वारा, ऐसा करने के आरम्भ से 6 महीने का लिखित नोटिस देने पर संस्था के प्रमाणिकरण पत्र या मान्यता को त्याग सकता है। और तदनुसार नोटिस की तिथि से 9 मास समाप्त होने पर, यदि नोटिस वापस नहीं लिया जाता, मान्यता प्राप्ति या प्रमाण-पत्र का त्याग प्रभावी हो जाएगा और अधिनियम के अन्तर्गत यह संस्था प्रमाणित या मान्यता प्राप्त नहीं रहेगी।

23. प्रत्याहरण अथवा प्रमाणपत्र अथवा मान्यता वापस लेने का प्रभाव.—संस्था के प्रबन्धक द्वारा मान्यता या प्रमाण-पत्र को वापिस लेने के नोटिस प्राप्त होने या मान्यता या प्रमाणपत्र को त्यागने के नोटिस के पश्चात् बालक को इस उस संस्था में नहीं लिया जायेगा ।

परन्तु उक्त तिथि पर संस्था में रखे गए किसी भी बालक को पढ़ाने शिक्षित करने, आवास के लिये, कपड़े और भोजन के लिये प्रबन्धकों का दायित्व करेगा । इस के अतिरिक्त कि सरकार अन्यथा निर्देश दे, रहेगा जब कि प्रमाणक अथवा मान्यता वापिस नहीं ली जाती अथवा उसका त्याग नहीं हो पाता है ।

24. प्रमाणक अथवा मान्यता के वापिस लेने पर अथवा त्यागने पर सहवासियों की व्यवस्था.—(1) जब कोई संस्था धारा, 9, 10, अथवा 11 के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त संस्था नहीं रहती है तो इस निमित्त सरकार द्वारा रखे गए बालक या तो :

(1) पूर्णतया मुक्त कर दिया जाएगा या ऐसी शर्तों के अनुसार प्रमुक्त किया जायेगा । जैसा अधिकारी अधिरोपित करें ।

(2) धारा, 9, 10, 11 के अधीन स्थापित प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था को, प्रमुक्त और अन्तरण सम्बन्धी अधिनियम और नियमों के अनुसार अन्तरित ।

2. ऐसे भुक्ति करेगा या अन्तरण को सूचना न्यायालय/बोर्ड को दी जायेगी ।

25. बाल गृह विशेष स्कूल या संप्रेक्षण गृह का प्रबन्ध—(1) धारा 9, 10 तथा 11 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित तथा व्यवस्थित बाल गृह विशेष स्कूल या संप्रेक्षण गृह के प्रबन्ध के नियन्त्रण और प्रबन्ध के लिये सरकार द्वारा एक अधीक्षक नियुक्त किया जायेगा ।

(2) धारा 9, 10 या 11 की उप-धारा (2) के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त प्रत्येक, बाल गृह, विशेष स्कूल तथा संप्रेक्षण गृह का प्रबन्ध शासी निकाय द्वारा किया जायेगा ।

26. बाल गृह, विशेष स्कूल तथा संप्रेक्षण गृह का आन्तरिक प्रबन्ध.—बाल गृह, विशेष स्कूल तथा संप्रेक्षण गृह के आन्तरिक प्रबन्ध से सम्बन्धित नियम तथा उनके द्वारा कायम किया जाने वाला स्तर तथा सेवा का स्वरूप ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय पर किया जायेगा ।

27. बाल गृहों, विशेष स्कूलों तथा संप्रेक्षण गृहों के कृत्य तथा उत्तरदायित्व.—बाल गृहों, विशेष स्कूलों तथा संप्रेक्षण गृहों के कृत्य तथा उत्तरदायित्व ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जायेंगे ।

28. विशेष स्कूलों, बाल गृहों, संप्रेक्षण गृहों और अनुरक्षण संस्थानों का निरीक्षण.—प्रत्येक बाल गृह और स्कूल और अनुरक्षण संस्था, मुख्य निरीक्षक अथवा सहायक निरीक्षक द्वारा हर समय निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा और कम से कम प्रति त्रैमासिक उसका निरीक्षण किया जायेगा ।

परन्तु जहां कोई स्कूल, गृह या अनुरक्षण संस्था मुख्यतः लड़कियों के लिए ही है और ऐसा निरीक्षण मुख्य निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है तो निरीक्षण जहां व्यवहार्य हो महिला द्वारा किया जायेगा ।

29. निरीक्षण करने वाले कर्मचारी वृन्द के कर्तव्य.—(1) प्रत्यक मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक अपने निरीक्षण या संस्था में दौरे के दौरान समर्पित या उसकी देख रेख में सुपुर्द किए गए बच्चे को किसी भी तरह की शिकायत करने का या उसे आवेदन करने का जो कोई बालक करना चाहे का पूरा पूरा अवसर प्रदान करेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा निरीक्षक अपने निरीक्षण की समाप्ति पर संस्था की निरीक्षण पुस्तिका में यह दर्ज करेगा कि उसने उस विशेष तिथि को संस्था का निरीक्षण किया है ।

(3) प्रत्येक निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक अपने निरीक्षण का विवरणित रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(4) मुख्य निरीक्षक अपने निरीक्षण रिपोर्ट पर यह अन्य निरीक्षण निरीक्षण करने वाले कर्मचारी वृन्द की रिपोर्ट पर ऐसी निरीक्षण की गई संस्था के अधीक्षक/प्रबन्धक को ऐसे सुझाव तथा निर्देश देगा जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझेगा ।

30. सुरक्षित अभिरक्षा स्थान का निरीक्षण.—(1) सुरक्षित अभिरक्षा का कि प्रत्येक स्थान जहां बालक को रखा गया है । जिला के प्रत्येक दण्डाधिकारी उस द्वारा प्रतिनियुक्त किसी दण्डाधिकारी, बाल कल्याण बोर्ड की सदस्य बाल न्यायालय को दण्डाधिकारी, मुख्य निरीक्षक या उसके निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रहेगा ।

(2) सुरक्षित अभिरक्षा के ऐसे स्थान के अधिभोगी या प्रबन्धक परिवीक्षा अधिकारी, जो बाल के पास उसके मामले से सम्बन्धित जांच पड़ताल करने आता है, की प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा ।

31. चिकित्सा निरीक्षण.—सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई भी चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी भी संस्था का अथवा अनुरक्षण संगठन का किसी भी समय नोटिस देकर अथवा नोटिस दिए बिना ही सहवासियों के स्वास्थ्य और संस्था की सफाई अवस्थाओं के बारे मुख्य निरीक्षक को रिपोर्ट करने हेतु, किसी भी समय दौरा कर सकता है ।

32. शैक्षिक निरीक्षण.—नियम 3 के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित विशेष स्कूल तथा बाल गृहों का पदेन निरीक्षक भी होगा । वह उन संस्थाओं जिनका पाठ्यक्रम हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय के अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसार है का केवल शैक्षिक निरीक्षण करेगा । वह संस्था के ऐसे पाठ्यक्रम का भी निरीक्षण करेगा जो निदेशालय द्वारा निहित किया जाए । वह उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें मुख्य निरीक्षक, निदेशक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निरीक्षक को देना उचित समझेगा और वह संस्था की निरीक्षण रिपोर्ट शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा ।

33. औद्योगिक कक्षाओं का निरीक्षण.—संस्था द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक तकनीकी कृषि तथा अन्य कक्षाओं का निरीक्षण हिमाचल प्रदेश के रोजगार तथा प्रशिक्षण के निदेशक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा सरकार द्वारा कृषि अथवा अन्य विभागों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा । रोजगार और प्रशिक्षण के निदेशक अथवा सम्बन्धित विभाग का अधिकारी, यथास्थिति निरीक्षक रिपोर्ट की मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा ।

34. अनुरक्षण संस्थाओं की संथापना, मान्यता प्रबन्ध तथा कृत्य.—अनुरक्षण संस्थाओं की स्थापना, मान्यता और कृत्यों को शासित करने वाले नियम, परिस्थितियां जिनमें, और शर्तें जिनके अध्याधीन संस्था अनुरक्षण के संगठन के रूप में मान्यता दी जाए और ऐसे मामले जो धारा 12 में निर्दिष्ट हो, ऐसे होंगे जो समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए जाएं ।

35. स्थितियां जिनके अनुसार उपेक्षित लड़की या अपचारी, बालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्गरक्षण किया जा सकता है । तथा ढंग जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर भेजा, जा सकता है:—(1) बाल के मामले में जहां सक्षम प्राधिकारी धारा, 36 के अधीन बाल को अपने जन्म स्थान वापिस भेजने के लिए समीचीन समझे तो वह रिश्तेदार अथवा उचित व्यक्ति को, जो बाल की प्राप्ति करने में योग्य हो, सूचित करेगा और उक्त रिश्तेदार और योग्य व्यक्ति को, ऐसी तिथि पर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए बाल को संरक्षण में लेने के लिए संप्रेक्षण गृह में आमन्त्रित करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (1) के अधीन रिश्तेदार अथवा उपर्युक्त व्यक्ति को आमन्त्रित करने पर यदि आवश्यक हो निर्देश दे सकता है। निम्न श्रेणी के रिश्तेदार अथवा उपयुक्त व्यक्ति के दोनों तरफ की यात्रा खर्च और बाल के संप्रेक्षण गृह से निकास स्थान के सामान्य स्थान पर भेजने के लिये बाल के यात्रा खर्च भुगतान संप्रेक्षण गृह के अधिक्षक द्वारा किया जायेगा ।

(3) यदि रिश्तेदार या उचित व्यक्ति नियुक्त तिथि पर बाल को

संरक्षण में ले सके तो बाल को संप्रेक्षण गृह के अनुरक्षक में उसे साधारण निवास स्थान पर ले जाया जायेगा ।

परन्तु लड़की की स्थिति में संप्रेक्षण गृह का मार्ग रक्षण महिला मार्ग रक्षक द्वारा किया जायेगा ।

36. ढंग जिसमें बच्चे के भरणपोषण के लिए मां बाप या संरक्षण को, योगदान देने के आदेश दिए जा सकते हैं :—धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश करने वाला सक्षम प्राधिकारी बाल के माता पिता अथवा, बाल का भरण पोषण करने वाले अन्य व्यक्ति के प्रति ऐसा राशि जो 100 रुपये से अधिक जैसाकि संरक्षण प्राधिकारी बाल के भरणपोषण के लिए उचित समझे, प्रत्येक मास के आरम्भ में अग्रिम रूप में अदा करने के आदेश दे सकता है।

(2) ऐसे सभी योगदान सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी कोष में विविध सरकारी प्राप्तियों के रूप में जमा करवा दिए जायेंगे ।

37. अनुज्ञप्ति (1) के अन्तर्गत रखना.—(1) धारा 53 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन शर्तें जिन में बाल रखा जा सकता है वे यथा सम्भव प्रपत्र-V में होंगे ।

(2) अनुज्ञप्ति पर किसी बाल को निर्मुक्त करने पर इसकी सूचना गृह या स्कूल के अधीक्षक द्वारा सक्षम अधिकारी को जिसके आदेशानुसार बाल को संस्था में रखा गया था बाल की मुक्ति को वास्तविक तिथि सहित दी जायेगी ।

(3) अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत जब अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर दिया गया है और बाल विशेष स्कूल या बाल गृह में जहां उसे वापिस आने को कहा हो इन्कार करता है या वापिस आने में असफल रहता है पुलिस अधिकारी अनुज्ञिप्त को प्रतिसंहरण करने वाले प्राधिकारी की सलाह पर बालक को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है और उसे विशेष स्कूल या बाल गृह में यथास्थिति भेज देगा ।

38. ढंग जिसके अनुसार बाल को मां-बाप, संरक्षक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देख-रेख में रखा जा सकता है.—धारा 16 की उप-धारा (1) अथवा धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन बाल को माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार अथवा उपयुक्त की देख-रेख में रखने के आदेश देते हुए ऐसे माता-पिता, रिश्तेदार अथवा उपयुक्त व्यक्ति का बाल को उचित देख-रेख और नियन्त्रण में रखने के लिए प्रपत्र VIII में प्रतिभू सहित या उसके बिना और ऐसी राशि के लिए जो सक्षम प्राधिकारी उचित समझे बन्ध पत्र भरने के निदेश दे सकता है । प्रपत्र-8 में विहित शर्तों के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी, ऐसी और शर्तें भी लगा सकता है जिन्हें बाल को उचित देख-रेख और ईमानदार और मेहनती जीवन सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे ।

(2) जहां बाल को परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण में रखा गया हो सक्षम प्राधिकारी शर्त अधिरोपित करेगा कि अपेक्षित सभी सहायता अथवा अन्य उपयुक्त व्यक्ति द्वारा यथा स्थिति, परिविक्षा अधिकारी को अपने पर्यवेक्षण कार्य को कार्यान्वित करने हेतु दी जाएगी ।

39. बाल की धार्मिक धारणा.—माता-पिता संरक्षण अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन बाल के बारे में कोई आदेश करते समय, आदेश करने वाला, प्राधिकारी बाल की धार्मिक धारणा को, यदि पता लगा सके, ध्यान में रखेगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा, कि धार्मिक निदेश जो बाल की धार्मिक धारणा के विरुद्ध है उसे नहीं दिए जाते है ।

40. माता-पिता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति के दायित्व.—सक्षम अधिकारी धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत या धारा 16 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत माता-पिता, संरक्षक या अन्य उपयुक्त जिनकी देख-रेख में बाल रखा गया है:—

(क) बाल की पढ़ाई, प्रशिक्षण, ठहरने, कपड़े, भोजन आदि का उचित प्रबन्ध करेंगे ।

(ख) बाल के लिए जब कभी आवश्यक हो उचित चिकित्सा का प्रबन्ध करेंगे ।

(ग) इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाल को इस ढंग से प्रहार नहीं किया जाता है, उसे छोड़ नहीं दिया जाता है या परित्याग नहीं किया जाता है अथवा जानबूझ कर उसकी अवहेलना नहीं की जाती है जिससे बाल अनावश्यक मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाए ।

(घ) बाल को अपना चरित्र तथा प्रतिभा उभारने के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

(ङ) बाल को नैतिक खतरे तथा शोषण से बचाएंगे ।

(च) बाल के अच्छे व्यवहार तथा आचरण के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(छ) बाल को अवांछनीय व्यक्तियों तथा सोसाइटी से सम्बन्ध होने से रोकेंगे ।

(ज) बाल को हर तरह के सामाजिक दोषों से बचायेंगे और बाल के सामान्य कल्याण के लिए उत्तरदायी होंगे ।

41. सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाल को बाहर भेजने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति.—(1) बाल की स्थिति में जिसका सामान्य निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर पड़ता है और यदि सक्षम प्रधिकारी धारा 36 के अधीन कार्यवाही, करना उचित समझता है तो वह परिवीक्षा अधिकारी को रिश्तेदार अन्य व्यक्ति द्वारा बाल को अपने निवास स्थान के सामान्य स्थान में प्राप्ति करने की उपयुक्तता और तत्परता और क्या ऐसा रिश्तेदार अथवा अन्य उपयुक्त व्यक्ति बाल को उचित देख भाल कर सकता है और नियन्त्रण में रख सकता है के बारे जांच पड़ताल करने के निदेश देगा ।

(2) परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर सन्तुष्ट होने पर सक्षम अधिकारी उपेक्षित या उपचारी बालक को यथास्थिति यदि आवश्यक हो, यथा सम्भव प्रपत्र-IV में पत्र निष्पादन करने पर उसके रिश्तेदार अथवा उपयुक्त व्यक्ति द्वारा प्रपत्र-V पर जिम्मेवारी लेने पर उक्त रिश्तेदार अथवा उपयुक्त व्यक्ति के पास भेज सकता है ।

(3) धारा 36 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की प्रति:—

(क) परिवीक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी जिसे उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था;

(ख) जिस स्थान पर बाल भेजा जाना है उस पर क्षेत्राधिकार रखने वाले परिवीक्षा अधिकारी को यदि कोई हो भेजी जाएगी ;

(ग) जहां पर बाल को भेजा जाना है। उस पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी को भेजी जाएगी ;

(घ) उस रिश्तेदार अथवा व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने बाल को प्राप्त करना है ।

(4) किसी बन्ध पत्र अथवा उप-नियम (2) के अधीन की गई किसी प्रतिज्ञा के उप उलंघन पर बाल को यदि वह हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी स्थान पर पाया जाता है सक्षम प्राधिकारी, के सम्मुख लाया जाएगा जो कि बाल को गृह अथवा स्कूल में भेजने के आदेश दे सकता है ।

(5) उप-नियम (3) के अन्तर्गत आदेशों के लम्बित रहने के दौरान बाल को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण गृह में भेजा जाएगा ।

42. बाल न्यायालय के सहयोग देने वाले अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता की अर्हताएं :—अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की अर्हताएं जो धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन बालक न्यायालय को सहयोग देगें, ऐसी होंगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा विहित की जाएंगी ।

43. पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होना.—अधिनियम के उपबन्धों तथा इन नियमों के अन्तर्गत बालकों से व्यवहार करते समय, गिरफतारी के समय, के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी सादा कपडे पहनेगें न कि पुलिस वर्दी ।

44. हथकड़ी अथवा वेड़ियों का प्रयोग.—अधिनियम अथवा इन नियमों के उपबन्धों के अधीन संव्यवहार्य बाल को हथकड़ी अथवा वेड़ियां नहीं लगाई जाएंगीं ।

45. बाल को उसी संस्था की दूसरी शाखा में स्थानान्तरित करने सम्बन्धी प्रबन्धक की शक्ति.—बाल को सक्षम प्राधिकारी धारा 9, 10 तथा 11 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणित संस्था या उचित व्यक्ति को सुपुर्द करने के पश्चात ऐसी संस्था का प्रबन्धक बाल को संस्था की

किसी भी शाखा में, सक्षम अधिकारी जिसके आदेशानुसार बाल को वहां रखा गया था और मुख्य निरीक्षक को सूचना देने के पश्चात भेज सकता है।

46. सहवासियों को अनुपस्थिति का लघु अवकाश.—(1) बाल गृह, स्कूल या उचित संस्था का अधीक्षक जिसके पास बाल सपुर्द किया गया है अपनी संतुष्टि के लिए बताए गए कारणों पर सहवासी की लघु अवधि के लिए जो कुल मिलाकर पूरे वर्ष भर में 15 दिन (जिसमें अपने माता पिता, रिश्तेदारों को मिलने जाने के उद्देश्य हेतु अपने गतव्य तक आने जाने का समय शामिल नहीं होगा) से अधिक नहीं होगी के लिए लिखित रूप से अनुपस्थिति अनुज्ञा प्रदान कर सकता है:—

परन्तु जहां तक सम्भव होगा एक समय सात दिन से अधिक अवधि की अनुपस्थिति अनुज्ञा के लिए मुख्य निरीक्षक का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रदान की गई अनुज्ञा किसी भी समय अधीक्षक के लिखित आदेशों द्वारा रद्द की जा सकती है और सहवासी को उस द्वारा बिना कोई कारण बताए पुनः बुलाया जा सकता है।

(3) स्कूल, बालक गृह, अथवा उचित संस्था के अधीक्षक द्वारा संस्तुत आवेदन-पत्र पर मुख्य निरीक्षक वर्ष में एक बार सहवासी को छः सप्ताह तक का अधिक अवकाश प्रदान कर सकता है। ऐसा अवकाश, मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित आदेश द्वारा रद्द किया जा सकता है और इसमें कोई कारण बताए बिना सहवासी को वापिस बुलाया जा सकता है।

(4) अवधि, जिसके दौरान सहवासी उप-नियम (1) अथवा (2) और (3) के अधीन संस्था से अनुपस्थित है, संस्था में उसका अवरोधन अवधि का एक भाग समझी जाएगी।

(5) यदि कोई सहवासी, उप नियम (1) अथवा उप-नियम (3) के अधीन अनुमत अवधि के समापन पर अथवा जब उप-नियम (2) अथवा उप-नियम (3) के अधीन पुनः बुलाया जाता है संस्था को वापिस आने में असफल रहता है तो अधीक्षक मामले की सूचना मुख्य निरीक्षक को देगा और कोई भी पुलिस अधिकारी अधीक्षक अथवा मुख्य निरीक्षक की लिखित रिपोर्ट पर सहवासी को वारंण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और संस्था को वापिस भेज सकता है।

(6) उप-धारा (5) के अधीन संस्था में वापिस होने में असफल होने के पश्चात् बीता हुआ समय, संस्था में उसके अवरोधन की अवधि गणना करते समय निकाला जाएगा।

(7) किसी भी माता-पिता या संरक्षक को जो संस्था में बाल की देख-रेख हेतु धारा 56 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार अंशदान रहे हैं, उप-नियम (1) या (3) के अन्तर्गत संस्था से बाल की अनुपस्थिति की अवधि के लिए अंशदान के भुगतान की छूट दी जाएगी।

47. अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत संप्रेक्षण गृह में प्राप्त बालकों को रखने का ढंग.—जब कभी भी अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बाल को संप्रेक्षण गृह में प्राप्त किया जाए तो,—

(1) सही ढंग से साफ किया जाएगा;
(2) ऐसे बिस्तर और कपड़े दिए जाएंगे जो समय-समय पर विहित किए जाएंगे;
(3) ऐसा भोजन दिया जाएगा जो समय समय पर विहित किया जाएगा;
(4) प्रवेश के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र परिवीक्षा अधिकारी से मिलाया जाएगा जो उसका वृतान्त अभिलेख करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जो बाल को भय तथा दुविधा को दूर करने में सहायता प्रदान करेंगे; और
(5) यदि वह 12 वर्ष से ऊपर की आयु का है विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ नहीं रखा जाएगा।

48. प्रपत्र.—जहां तक सम्भव होगा प्रत्येक प्रयोजन के लिये उसमें सामने दिए गए निम्नलिखित प्रपत्र प्रयोग किए जाएंगे:—

(क) प्रपत्र I.—धारा 19 (क) के अन्तर्गत बाल के माता-पिता या संरक्षक को उसकी गिरफ्तारी की सूचना का प्रपत्र।
(ख) प्रपत्र.—धारा 19 (ख) के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारी को बाल गिरफ्तारी की सूचना का प्रपत्र।
(ग) प्रपत्र–XIII.—अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (3) या धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक प्रयोजनार्थ परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट।
(घ) प्रपत्र–XIV.—अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत बाल को बालक गृह व स्कूल भेजने का आदेश।
(ङ) प्रपत्र–XV.—अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बाल को उसके माता-पिता या संरक्षक के संरक्षण से हटाने वाले आदेशों का प्रपत्र।
(च) प्रपत्रXVI.—धारा 14 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस।
(छ) प्रपत्र–XVII.—अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत तलाशी का वारण्ट।

49. निरसन और व्यावृत्ति.—हिमाचल प्रदेश बाल नियम, 1962 तथा पंजाब बाल नियम, 1960 जो 1-11-1966 से पूर्व क्रमशः तुरन्त हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा के अधीन समाविष्ट क्षेत्रों में लागू थे, एतद्द्वारा निरयुक्त किए जाते हैं: परन्तु नियमों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कार्यवाही इन नियमों के अधीन की गई समझी जाएगी मानों ये नियम उस तिथि को जब कोई बात अथवा कार्यवाही की गई प्रवृत्त थे।

---

प्रपत्र–I

नियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसार प्रारम्भिक जांच पड़ताल पर रिपोर्ट

क्रम संख्या .....
..... बालक न्यायालय/बाल कल्याण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत ..... न्यायलय में।

न्यायालय केस संख्या .....
परिवीक्षा विभाग ..... केस संख्या .....
धारा के अधीन .....

केस का शीर्षक .....
पुलिस स्टेशन .....
अनुरोपित अपराधी का स्वरूप .....
(केवल अपचारी बालकों की स्थिति में)

| | |
|---|---|
| नाम | धर्म |
| पिता का नाम | जाति |
| स्थाई पता | जन्म वर्ष |
| गिरफ्तारी से पहले | आयु |
| अन्तिम पता | लिंग |
| पूर्व न्यायालय या संस्थायिक विवरण | |

परिवार

| परिवार के सदस्य | नाम | आयु | तन्दुरुस्ती | व्यवसाय या स्कूल | वेतन यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| पिता | | | | | |
| सौतेला बाप | | | | | |
| माता | | | | | |
| सौतेली माता | | | | | |
| सबलिंग | | | | | |
| यदि विवाहित हो तो सम्बद्ध विवरण। | | | | | |
| अन्य निकट सम्बन्धी या सम्बद्ध अभिकरण | | | | | |
| धर्म, आचरण तथा गृह इत्यादि की जातीय संहिता। | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति<br>परिवार के सदस्यों का अपचार<br>अभिलेख<br>वर्तमान रहने की अवस्थाएं<br>माता-पिता और बालकों में सम्बन्ध<br>विशेष तौर पर जाच पडताल के अधीन बाल के महत्व के अन्य तथ्य, यदि कोई हों। | | | | | |

बालक का विवरण

भूतकालिक तथा वर्तमान मानसिक अवस्थाएं ——————————

भूतकालिक तथा वर्तमान शारीरिक अवस्थाएं ——————————

आदतें, रुचियां (नैतिक तथा मनोरंजनात्मक इत्यादि) ——————

विशिष्ट विशिष्टताएं और व्यक्तित्व विशेषताएं ——————

सहचर तथा उनका प्रभाव ——————

घर से भगोड़ापन यदि कोई हो ——————

पूर्ववर्ती अपचार यदि कोई हो ——————

स्कूल (स्कूल, अध्यापकों, सहपाठियों तथा और विलोमत: रवैया) ——————

कार्य अभिलेख, नौकरियां, उन्हें छोड़ने के कारण, व्यवसायिक रुचियां नौकरी तथा मालिक के प्रति रवैया) ——————

पड़ोसी तथा पड़ोसी की रिपोर्ट ——————

माता-पिता तथा घर में अनुशासन प्रति रवैया और बालकों की प्रतिक्रिया

कोई अन्य अभ्युक्तियां ——————

जांच पड़ताल का परिणाम

भावात्मक कारण ——————

शारीरिक अवस्थाएं ——————

समक्ष ——————

सामाजिक तथा आर्थिक कारण ——————

धार्मिक कारण ——————

समस्याओं के सुझाए गए कारण ——————

मामले का विश्लेषण जिससे पता चले कि अपचारी का व्यवहार किस तरह विकसित हुआ ——————

बर्ताव सम्बन्धी शिफारिशें और परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसकी योजना।

परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

———

प्रपत्र-II

[नियम 5 (3), (4) देखिए]

परिवीक्षार्थी की प्रगति का मासिक विवरण

भाग-1

परिवीक्षा अधिकारी का नाम ——————

माम —————— में

रजिस्टर संख्या ——————

सक्षम प्राधिकारी ——————

केस संख्या ——————

बाल का नाम ——————

निरीक्षण आदेश की तिथि ——————

बाल का पता ——————

निरीक्षण की अवधि ——————

भाग-2

| साक्षात्कार का स्थान | दिनांक |
|---|---|
| —————— | ——— |
| —————— | ——— |
| —————— | ——— |

1. जहां बाल रह रहा है ··········
2. किसी शक्षिक प्रशिक्षण कोर्स में की गई प्रगति ··········
3. यह क्या कार्य कर रहा व रही है और उसका मासिक औसतन कमाई यदि नियोजित हो ··········
4. डांकघर में रखी बचत, उसके नाम पर बचत बैंक-लेखा ··········
5. बाल की सेहत ··········
6. उसके सामान्य आचरण और प्रगति पर अभ्युक्तियां ··········
7. क्या सम्पत्ति की देख भाल की गई ··········

भाग 3

8. ....... के लिए सक्षम प्राधिकारी के बन्ध पत्र की समक्ष कोई भी कार्यवाहियां शर्तों में परिवर्तन।
   (ख) निवास स्थान का परिवर्तन ··········
   (ग) अन्य मामले ··········
9. पर्यवेक्षण की अवधि की समाप्ति ··········
10. अभ्युक्तियों सहित पर्यवेक्षण का परिणाम ··········
11. माता-पिता, संरक्षक या उचित व्यक्ति का नाम व पता ······ जिसके संरक्षण में पर्यवेक्षण अवधि समाप्त होने के बाद बाल रहेगा।

रिपोर्ट की तिथि :

परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

———

प्रपत्र-III

(नियम 11 देखिए)

आदेश जो परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल के लिए अपेक्षित हैं

प्रेषित :

परिवीक्षा अधिकारी,

——————,

——————।

यत: (1) हिमाचल प्रदेश बाल अधिनियम, 1979 की धारा ... के अन्तर्गत ······ (बच्चे का नाम) पुत्र/पुत्री ·········, निवासी ······· को ······· रिपोर्ट शिकायत प्राप्त हुई है।

या

(2) ··········· पुत्र/पुत्री ··········· निवासी........ को हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण अधिनियम, 1979 की धारा 13 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अन्तर्गत बाल कल्याण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

आपको उक्त बाल के पूर्ववर्ती, और चरित्र और सामाजिक स्थिति के बारे जांच पड़ताल करने का और जांच पड़ताल की अपनी रिपोर्ट —————— को अथवा —————— से पूर्व और ऐसी अवधि के भीतर जो तुम्हें बाल कल्याण परिषद् द्वारा अनुमत की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।

आज दिनांक ····· दिन को ········ 19 .

(हस्ताक्षर)

मोहर। अध्यक्ष, बाल कल्याण परिषद्।

———

प्रपत्र 4

(नियम 12 देखिए)

हिमाचल प्रदेश बाल अधिनियम, 1979 की धारा 15 की उप-धारा (2) और धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अवरोधन के वारण्ट

प्रेषक :

अधीक्षक,

——————

——————

यत: —————— को 19 ——— के —————— दिन को (बच्चे का नाम) पुत्र/पुत्री ——————, आयु —————— निवासी ——————, केस संख्या —————— में उपेक्षित बालक के रूप में धारा —————— के अन्तर्गत अपराध करते पाया गया है। मेरे द्वारा —————— अध्यक्ष बाल कल्याण बोर्ड/ मुख्य दण्डाधिकारी बाल न्यायालय —————— द्वारा हिमाचल

प्रदेश बाल नियम, 1979 की धारा——————के अन्तर्गत ——————अवधि के लिए——————बाल गृह/विशेष स्कूल में अवरोध करने के आदेश दिए गए।

इससे आपको प्राधिकृत किया जाता है और आप से उक्त बाल को अपनी अभिरक्षा में प्राप्त करने और उसे—————बालक गृह व स्पेशल स्कूल में रखने की अपेक्षा की जाती है।

इस 19——————के दिन को मेरे हस्ताक्षर और बाल कल्याण परिषद् व बाल न्यायालय की मोहर के अन्तर्गत दिया गया।

अध्यक्ष,
बाल कल्याण परिषद्,

मोहर। मुख्य दण्डाधिकारी, बालक न्यायालय।

अनुलग्न : निर्णय की प्रति यदि कोई हो या आदेश पर का विवरण तथा पूर्ववर्ती अभिलेख बालक अधिनियम, 1979 के अधीन पूर्ववर्ती विवरण।

दिनांक पारित आदेश जिससे धारा अवरोधन अवधि, यदि कोई है शामिल है।

सक्षम प्राधिकारी।

---

काट दिया जाए जो अपेक्षित न हो।

प्रपत्र V

[नियम 13 (1) देखिए]

पर्यवेक्षण आदेश

(जब बच्चा माता-पिता/संरक्षक या अन्य व्यक्ति की देख-रेख में रखा गया है)

——————19——————की केस संख्या——————

यतः——————धारा——————के अधीन इस दिन, अपराध करने में अपेक्षित पाया गया है और——————(नाम) द्वारा बन्ध पत्र निष्पादन करने पर——————की देख-रेख में रखा गया है और न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट है कि उसे पर्यवेक्षण में रखने के आदेश करके उक्त बाल से व्यवहार करना समीचीन है।

वह एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि उक्त बाल निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रर्यवेक्षण में रखा जाएगा नामत :—

(1) बालक कथित——————द्वारा निष्पादित बन्ध पत्र तथा आदेशों की प्रतियां सहित आचरण परिवीक्षा अधिकारी जिसका नाम उसमें होगा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) बाल परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) बाल——————अवधि के लिए——————निवास स्थान पर रहेगा।

(4) बाल को——————जिला क्षेत्राधिकार से परिवीक्षा अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायगी।

(5) कि बाल को दुश्चरित्र व्यक्तियों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) कि बाल ईमानदारी तथा शान्तिमय ढंग से रहेगा।

(7) कि बाल नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र में उपस्थित होगा।

(8) कि व्यक्ति जिसकी देख रेख में बाल को रखा गया है बाल की उचित देखभाल, शिक्षा तथा उसके कल्याण का पूरा प्रबन्ध करेगा।

(9) कि व्यक्ति जिसकी देख रेख में बाल को रखा गया है हर तरह के निरोधात्मक उपाय प्रयोग करेगा, इस बात का ध्यान रखन के लिए कि भारत में प्रवृत विधि द्वारा किसी दण्डनीय अपराध को नहीं करता है।

(10) कि बाल को नशे वाली चीजें लेने से रोका जाएगा।

*(11)

*(12)

*(13)

*अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों बाल कल्याण परिषद् व बाल न्यायालय——————द्वारा अंकित की जा सकती हैं। यदि आवश्यक हो पुनः क्रमांकित किया जायेगा।

(14) उपरोक्त शर्तों के साम्यक रूप से पालन करने हेतु परिवीक्षा अधिकारी द्वारा समय पर दिए गए निदेशों को कार्यान्वित किया जायेगा।

दिनांक को 19 के दिन को

अध्यक्ष,
बाल कल्याण परिषद्

मोहर। मुख्य दण्डाधिकारी,
हिमाचल प्रदेश बालक न्यायालय।

---

प्रपत्र—VI

[नियम 13(2) देखिए]

(जब बाल को हिमाचल प्रदेश बाल अधिनियम, 1979 की धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया हो)

——————19 का केस संख्या——————

यत: (बाल का नाम) निवासी——————(मकान संख्या, सड़क, गांव, कस्बा, जिला इत्यादि पूरा पता) आज धारा——————के अन्तर्गत अपराध के लिए दोषी पाया गया और उसे——————रुपया का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए तथा न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट है कि उसे प्रर्यवेक्षण में रखने के आदेश करके उक्त बाल से व्यवहार करना समीचीन है।

एतद्द्वारा यह आदेश दिए जाते हैं कि कथित बाल—————— परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में——————अवधि के लिए रखा जायेगा और निम्निलिखित शर्तों का पालन करेगा, नामतः—

1. कि वह स्वयं इस आदेश के जारी होने की तिथि से 14 दिन के भीतर आदेश में उल्लिखित परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और आदेश की प्रति उसे प्रस्तुत करेगा।

2. कि वह स्वयं को परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा :

3. कि वह इसमें निर्दिष्ट अवधि के दौरान परिवीक्षा अधिकारी को अपने निवास स्थान, जीवन निर्वाह के साधनों व शिक्षा स्थान व शिक्षा में प्रगति के बारे अवगत करवाएगा।

4. कि वह नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र में उपस्थित होगा।

5. कि वह लम्पट जीवन व्यतीत करने के लिए बुरे चरित्र वाले लोगों की संगति नहीं करेगा।

6. कि वह ईमानदारी तथा शान्तिमय ढंग से रहेगा और वह नियमित रूप से स्कूल जाएगा व ईमानदारी से आजीविका कमाने का प्रयास करेगा।

7. कि वह भारत में प्रवृत विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं करेगा।

8. कि वह नशीली चीजों से अलग रहेगा।

9.

10.

11.

12. कि वह ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो समय समय पर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उक्त उल्लेखित शर्तों के सम्यक रूप से पालन करने हेतु दी जायें।

——————19 के दिन को इस तिथि को।

मोहर। मुख्य दण्डाधिकारी, बालक न्यायालय।

---

अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों, बालक न्यायालय द्वारा यदि आवश्यक हो, अंकित की जा सकती है।

पुनः क्रमांकित किए जाने हैं यदि आवश्यक हो।

प्रपत्र VII

[नियम 37 का उप-नियम (1) देखिए]

अनुज्ञप्ति पर रिहाई के आदेश का प्रपत्र

हिमाचल प्रदेश सरकार इस अनुज्ञप्ति द्वारा (अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का नाम)————————

————पुत्र/पुत्री————————जाति————

निवासी——————— तहसील————, जिला————

को जिसे बालक गृह व स्पैशल स्कूल में बाल कल्याण परिषद् व बालक न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा————के अधीन————अवधि के लिए————19————के————दिन को रोके जाने के आदेश दिए गये व और जिस अब————————में————पर उक्त————————पर इस शर्त पर कि ऐसे————के पर्यवेक्षण और प्राधिकार में अवरोधन की उक्त अवधि के बाकी समय की दौरान रखा जाए रिहाई करने को अनुमति प्रदान करता हूं।

यह अनुज्ञप्ति इस पर पृष्ठांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है जिसके किसी भी उल्लंघन पर इस का प्रतिसंहरण किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पद।

दिनांक

अनुज्ञप्ति धारी————अग्रसर होगा और————पर्यवेक्षण और प्राधिकारी में उसका अवरोधन को अवधि के समापन तक रहेगा जब तक कि उसकी माफी रद्द नहीं कर दी जाती है।

2. वह उक्त————की सहमति के बिना अपने आप को उस स्थान अथवा किसी अन्य स्थान से जो कि कथित द्वारा किया जाए नहीं हटाएगा।

3. वह ऐसे निदेशों का जो उसे कथित————नियोजन में पाबन्द और नियमित उपस्थिति सम्बन्धी अथवा अन्यथा प्राप्त हों पालन करेगा।

4. वह नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र————में उपस्थित होगा।

5. वह कोई अपराध नहीं करेगा और————संतोषण के लिए संयमी और मेहनती जीवन व्यतीत करेगा

6.

7.

8.

9.

10. उसके (स्त्री व पुरुष) द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर एतद्द्वारा अनुमत अवरोधन की अवधि की माफी रद्द की जाएगी और ऐसे रद्दकरण पर वह (स्त्री व पुरुष) के साथ हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा 53 की उप-धारा (3) के अधीन व्यवहार किया जायेगा।

मैं एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं कि मैं उक्त शर्तों को जानता हूं जो कि मुझे पढ़ कर सुनाई गई हैं और जिसकी मुझे स्पष्टीकरण कर दिया गया है और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं।

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर के चिन्ह।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें नाम————को पढ़कर सुना दी गई हैं और उनको स्पष्ट रूप में समझा दिया गया है और उस स्त्री/पुरुष ने उन सभी शर्तों को स्वीकार किया है जिस पर स्त्री/पुरुष अवरोधन की अवधि माफ की गई है और उसे स्त्री/पुरुष को तदनुसार————को रद्द कर दिया गया है।

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात् अधीक्षक के हस्ताक्षर व पदनाम।

टिप्पणी.—अतिरिक्त शर्तें यदि कोई अधिरोपित की जानी हैं अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकती हैं।

प्रपत्र-VIII

[नियम 38 (1) देखिए]

बन्ध पत्र जिसका निष्पादन माता-पिता, संरक्षक व उपयुक्त व्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा किया जाता है जिसकी देख रेख में बाल को हिमाचल प्रदेश बाल अधिनियम, 1979 की धारा 16(1) अथवा धारा 21(1) (ख) के अधीन रखा गया है

यतः मुझे माता-पिता व संरक्षक व रिश्तेदार अथवा व्यक्ति होने के नाते जिसकी देख रेख में————(बालक का नाम) के बाल कल्याण परिषद्

व बालक न्यायालय————द्वारा रखने के आदेश दिए गए हैं हमें बाल कल्याण परिषद् व बालक न्यायालय द्वारा————रुपये की राशि का एक प्रतिभू दो प्रतिभू सहित बन्ध-पत्र निष्पादन करने के निदेश दिए गए हैं। मैं एतद्द्वारा उक्त————मेरी देख-रेख में रखने पर अपने आप को बाध्य करता हूं मैंने उक्त————उचित रूप में देखभाल रखनी होगी और मैं आगे उक्त————अच्छे व्यवहार हेतु उत्तरदायी होने के लिये और निम्नलिखित शर्तों को————वर्ष, की अवधि के लिए जो————से आरम्भ होती है का पालन करने के लिए अपने आप को बाध्य करता हूं:—

(1) कि मैं परिवीक्षा अधिकारी की परिषद् के माध्यम से लिखित रूप में सूचना दिए बिना अपना निवास स्थान नहीं बदलूंगा।

(2) कि मैं उक्त————को परिषद् व न्यायालय की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना परिषद् व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं ले जाऊंगा।

(3) जब कि परिस्थितियां मेरे वश से बाहिर न हो जायें मैं————को नियमित रूप से स्कूल को परिषद् व न्यायालय द्वारा अनुमोदित कार्य करने के लिये भेजूंगा।

————के मैं/हम————विवरण सहित निवास स्थान का स्थान उपर्युक्त हेतु प्रतिभूति व प्रतिभूतियों के रूप में घोषित करते हैं।

बन्ध पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम

कि वह उन सभी बातों को करेगा और उनका पालन करेगा जिनका उसका करने और पालन करने की प्रतिज्ञा कर रखी है और इसकी किसी चूक पर मैं/या हम एतद्द्वारा संयुक्त रूप में या पृथक रूप में————रुपये की राशि सरकार को जब्त करने हेतु बाध्य करता हूं या करते हैं।

19 के————दिन को————इस तिथि————को (————की उपस्थिति में) जहां प्रतिभूति सहित बन्ध पत्र निष्पादन किया जाना है।

(4) जब तक कि परिस्थितियां मेरे वश के बाहर न हो जायें मैं————को नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र पर भेजूंगा।

(5) अगर————दुर्व्यवहार करेगा या मेरे आरक्षण से भागेगा तो मैं इसकी सूचना तुरन्त परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से परिषद् व न्यायालय को भेजूंगा

(6) जब वांछित होगा मैं————परिषद्/अदालत के समक्ष पेश करूंगा।

(7) मैं परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने हेतु हर सम्भव सहायता दूंगा।

(8)

(9)

(10)

(11) इन में किसी की चूक करने पर मैं सरकार द्वारा————रुपये की राशि जब्त करने के लिये बाध्य करता हूं।

19————के————दिन को इस तिथि————को

हस्ताक्षरित।

काट दीजिए जहां पर कोई प्रतिभूति अपेक्षित नहीं है।

यदि बालक/बालिका स्कूल जाने वाला है तो रखा जाना है। अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों, परिषद् व न्यायालय द्वारा उचित रूप में क्रमांकित करके दर्ज की जायेंगी।

प्रपत्र IX

बाल द्वारा जिसे हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा 17 के अधीन, रिश्तेदार अथवा उचित व्यक्ति के पास उसके सामान्य निवास स्थान पर भेजा जाना है बन्ध पत्र हस्ताक्षरित किया जाना है

यतः मुझे——————निवासी के——————को (घर संख्या, सड़क ग्राम/कस्बा, तहसील——जिला——राज्य बाल कल्याण परिषद् द्वारा अपने जन्म स्थान पर वापिस जाने के आदेश दिए गए हैं ।

बालक अधिनियम, 1979 की धारा 36 के अधीन बाल न्यायालय ——————के साथ हिमाचल प्रदेश बालक नियम, 1981 के नियम 13 के उप-नियम (2) के नीचे दी गई शर्तों का पालन करने हेतु निष्पादित करने पर अतः मैं अब——अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करने की सत्यभाव से प्रतिज्ञा करता हूं ।

(1) मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित के बाध्य करता हूं कि——— अवधि के दौरान मैं प्रायः गांव/कस्बा/जिला को नहीं छोड़ूंगा जिसके लिए मुझे भेजा है और मैं हिमाचल प्रदेश राज्य को वापिस नहीं आऊंगा और न ही परिषद् व न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त जिले के बाहर किसी स्थान पर जाऊंगा ।

(2) उक्त अवधि के दौरान मैं गांव, व उक्त जिले में जिसके लिए मुझे भेजा गया है कार्य करूंगा व स्कूल में उपस्थित हूंगा ।

(3) उक्त जिला में किसी अन्य स्थान पर कार्य करने व स्कूल में उपस्थित होने की स्थिति में मैं परिषद् व न्यायालय को अपने निवास स्थान के सामान्य स्थान से अवगत करूंगा ।

(4) मैं अपना व्यवहार ठीक रखूंगा और इस बन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों का और जो मेरे से स्वीकार की गई है किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं करूंगा ।

(5) कि आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विशेष रूप में मैं निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करूंगा :

(क) मैं अपने रिश्तेदार तथा उपयुक्त व्यक्ति जिसके पास आदेश पत्र के अनुसार मुझे भेजा गया है मैं उस द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का पालन करूंगा और उनका नेतृत्व और सहायता स्वीकार करूंगा ।

(ख) मुझे जिस भी घर, स्कूल या अन्य स्थान जहां कि मुझे भेजा गया है से नहीं भागूंगा ।

(ग) मैं ईमानदारी और शान्तिमय ढंग से रहूंगा और ईमानदारी से जीविका कमाऊंगा व नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित हूंगा और प्राधिकारियों की आज्ञा का पालन करूंगा और रिश्तेदार और उपयुक्त व्यक्ति जिस के पास मुझे भेजा है की अनुज्ञा के बिना, नियोजन व स्कूल को नहीं बदलूंगा ।

(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

(6) उक्त विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त के अनुपालन करने में चूक करने पर मैं, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पुनः उपस्थिति पर ऐसे आदेश को प्राप्त करूंगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे ।

19—के——————दिन को——————इस तिथि———को

——— हस्ताक्षर अथवा चिन्ह ।

प्रपत्र–X

[नियम 41 का उप नियम (2) देखिए]

उस व्यक्ति द्वारा जिसकी देखभाल में बाल को अपने जन्म स्थान को भेजा जाना है, वचन दिया जाता है

मैं · · · · · · · · · · · · · · निवासी · · · · · · · · · · · · (पूरा विवरण दिया जाना है जैसे गांव/कस्बा/जिला राज्य) एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं · · · · · · · · · · · · · · · · · · जिसकी आयु · · · · · · · · · · · है की बाल कल्याण परिषद्/बालक न्यायालय/दण्डाधिकारी · · · · · · · · · · · · · · · · · · आदेशों के अधीन निम्नलिखित निर्बन्धनों और शर्तों के अध्याधीन, संरक्षण में रखने के लिए इच्छुक हूं :—

(1) जब तक वह (वालक व वालिका) मेरी देख भाल में रहेगा/रहेगी उसके कल्याण और शिक्षा के लिए पूरा प्रयास करूंगा और उसके भरण पोषण के लिए उचित व्यवस्था करूंगा ।

(2) यदि उसका (बालक/बालिका) आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है मैं तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को सूचित करूंगा ।

(3) उसकी (बालक/बालिका) बीमारी पर व निकटतम अस्पताल में उचित चिकित्सा करवाऊंगा ।

(4) उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष (बालक व वालिका) जब अपेक्षित हो पेश करने का वचन देता हूं ।

19. . . . . . . . . के . . . . . . . . . . दिन इस तिथि को . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को

साक्षियों के हस्ताक्षर और पता :

हस्ताक्षर/

1.
2.

प्रपत्र–XI

[नियम 49 (क) देखिए

हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा 19 के खण्ड (क) के अधीन बाल की गिरफ्तारी की उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को सूचना

यतः बालक/बालिका का नाम · · · · · · · · · · · · ·
पुत्र/सपुत्री · · · · · · · · · · · · · आयु · · · · · · · · · ·
निवासी · · · · · · · · · · · · को धारा · · · · · · · · · · ·
के अधीन गिरफ्तार किया गया है तथा उसे प्रक्षण गृह · · · · · ·
में रखा गया है। उसे बालक न्यायालय के समक्ष · · · · · · · ·
दिनांक को पेश किया जाएगा ।

एतद्द्वारा संरक्षक तथा माता/पिता का नाम · · · · · · · · ·
श्री · · · · · · · · · · · · · निवासी · · · · · · · · · · ·
को बालक न्यायालय · · · · · · · · · · · · · · · में दिनांक
· · · · · · · · · · · · · · को · · · · · · · · · · · · · ·
समय पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

(हस्ताक्षर)/-
प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन ।

प्रपत्र–XII

(नियम 49 देखिए)

हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम 1979, की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बाल की गिरफ्तारी की परिवीक्षा अधिकारी को सूचना

बाल का नाम · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
आयु · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
पुत्र/पुत्री · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
निवासी · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
देखभाल करने वाले का नाम · · · · · · · · · · ·
गिरफ्तारी की तिथि और समय · · · · · · · · · · ·
गिरफ्तारी का स्थान · · · · · · · · · · · · · · ·
द्वारा जिसके अधीन गिरफ्तारी की गई है · · · · · ·
मामले का संक्षिप्त विवरण · · · · · · · · · · · ·
यदि प्रेक्षण गृह में रखा गया हो तो प्रेक्षण गृह का नाम · · · ·

तिथि · · · · · · · · ·
पुलिस स्टेशन · · · · · · ·

प्रेषक

(हस्ताक्षर)/-
प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन

परिवीक्षा अधिकारी

प्रपत्र–XIII

(नियम 49 देखिए)

हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा 16 की उप-धारा (3) अथवा धारा 21 की उप-धारा (2) के परन्तुक के प्रयोजनार्थ परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट

परिवीक्षा अधिकारी जिसके पर्यवेक्षण में बाल को रखा गया है का नाम .....।

आदेश संख्या और तिथि जिसके अधीन बाल को पर्यवेक्षण में रखा गया है .....

सक्षम प्राधिकारी जिसके आदेशानुसार बाल को प्रयवेक्षण में रखा गया है .....

पर्यवेक्षण में रखे गए बाल का नाम .....
माता-पिता, संरक्षक अथवा अन्य उपयुक्त व्यक्ति का नाम जिसकी देखभाल में बाल रखा गया है .....
निवास स्थान .....

क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है यदि ऐसा हो तो वह शर्त जिसका उल्लंघन हुआ है, दी जाती है .....

क्या बाल सच्चरित व्यवहार का रहा है यदि ऐसा हो तो आधार प्रस्तुत किए जाएं .....

क्या बाल नियमित रूप से स्कूल में प्रस्तुत नहीं हो रहा है ..... यदि बाल नियोजित हो, तो क्या वह अपने नियोजन स्थान पर नियमित रूप में उपस्थित नहीं हो रहा है .....

क्या बाल उपस्थिति केन्द्र में उपस्थित नहीं हो रहा है .....

कोई भी अन्य कारण जिसके लिए बाल को बालक गृह व स्पैशल स्कूल में भेजने की सिफारिश की जाती है। .....

दिनांक .....

(हस्ताक्षर)/-
परिवीक्षा अधिकारी।

---

प्रपत्र–XIV

(नियम 49 देखिए)

हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा 21 की उप-धारा (2) अथवा धारा 16 की उप-धारा (3) के परन्तुक के अधीन, बाल को बालक गृह व स्पेशल स्कूल में भेजने वाले सक्षम प्राधिकारी का आदेश

संख्या .....
सक्षम प्राधिकारी
यतः ..... पुत्र/पुत्री श्री .....
निवासी ..... (बालक/बालिका का नाम)
का हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा .....
के अधीन ..... आदेश संख्या द्वारा .....
दिनांक ..... को निवासी .....
के अधीन देखभाल में रखा गया था और आगे धारा .....
के अधीन आदेश संख्या ..... द्वारा दिनांक .....
..... को .....
परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा गया था।

और यतः उक्त परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर और आवश्यक जांच पड़ताल करने पर, हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा ..... के अधीन उक्त बाल से व्यवहार करना समीचीन पाया जाता है।

जहां पर एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि उक्त .....
को ..... अवधि के लिए .....
19 ..... के ..... दिन ..... दिनांक
..... को बालगृह व स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाए।

मोहर।

(हस्ताक्षर),
अध्यक्ष,
बाल कल्याण परिषद्,

---

मुख्य दण्डाधिकारी, बालक,
न्यायालय।

---

प्रपत्र–XV

(नियम 49 देखिए)

हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन बाल को माता-पिता अथवा संरक्षक से हटाने हेतु आदेश

व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने आदेश निष्पादन करना है।

यतः ..... (बाल का नाम) निवासी जो .....
के वास्तविक संरक्षण अथवा नियन्त्रण में है स्पष्टतया उपेक्षित बाल है और हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 के उपबन्धों के अधीन उसके साथ व्यवहार करना अपेक्षित है।

और यतः विश्वास करने का कारण है कि उक्त बाल को ..... से हटाया जाना अथवा छिपाया जाना संभाव्य है।

उक्त बाल को————————के संरक्षण अथवा नियन्त्रण से हटाकर प्रेक्षण गृह को ले जाने के आपको एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

19————के————दिन को————इस तिथि को।

अध्यक्ष,
बाल कल्याण परिषद्।

---

प्रपत्र XVI

(नियम 49 देखिए)

हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 की धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन कारण बताओ नोटिस

संख्या————

बाल कल्याण परिषद्

यतः हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन————से रिपोर्ट प्राप्त की गई और यतः विश्वास करने का कारण है कि————(बाल का नाम) पुत्र/पुत्री ————निवासी ————उपेक्षित बाल है।

यतः————(माता पिता नाम) निवासी———— ————का उक्त बाल पर वास्तविक संरक्षण अथवा नियन्त्रण है।

उक्त———— को 19————के———— (माता पिता व संरक्षक का नाम) ———— दिन को————समय पर बाल को बाल कल्याण परिषद् के समक्ष पेश करने हेतु और यह कारण बताने के लिए कि क्यों न उक्त————(बाल का नाम) के साथ हिमाचल

प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 के उपबन्धों के अधीन उपेक्षित बाल के रूप में व्यवहार किया जाये, एतद्द्वारा बुलाया जाता है ।

19——— के——————दिन————दिनांक——— को ।

मोहर ।

अध्यक्ष,
बाल कल्याण परिषद् ।

प्रपत्र XVII
(नियम 49 देखिए)

हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी किए जाने वाला तलाशी वारण्ट

केस संख्या————

प्रेषक

———————————

———————————

(अधिकारी का नाम और पद जिसने वारन्ट निष्पादन करना है)
यतः————————निवासी——————जो—————के वास्तविक संरक्षण अथवा नियन्त्रण के अधीन है स्पष्टतया उपेक्षित बाल है और हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1979 के उपबन्धों के अधीन बाल के साथ व्यवहार करना अपेक्षित है ।

और अतः मुझे बताया जाता है कि उक्त बाल को——————से हटाया जाना अथवा छिपाया जाना अपेक्षित है ।

उक्त—————को——————में तलाशी करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और तलाशी करनी अपेक्षित है और यदि पाया जाता है तो उसे तुरन्त बाल कल्याण परिषद् के समक्ष इस वारण्ट को पृष्टांकन (बालक/बालिका) सहित प्रमाणित करते हुए कि उसने क्या किया है इसके निष्पादन पर तुरन्त प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है और उससे ऐसी अपेक्षा की जाती है ।

19————के—————दिन को—————दिनांक को बाल कल्याण परिषद् के हस्ताक्षर और मोहर के अधीन जारी किया गया ।

मोहर

अध्यक्ष,
बाल कल्याण परिषद् ।

अमर नाथ विद्यार्थी,
सचिव ।

## भाग 4—स्थानीय स्वायत शासनः म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

## भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

**In the Court of Shri A. L. Vaidya, Additional District Judge, Shimla, Kinnaur and Bilaspur districts at Shimla Himachal Pradesh**

CMA No. 16-S/14 of 1981
CMA No. 40-S/14 of 82

Chhula Dutt s/o Shri Bhag Chand s/o Shri Sobha Dev, r/o village Thaili, Pargana Mastgarh, Tehsil Rampur, District Shimla ..Appellant.

*Versus*

Roshan Lal and 5 others ..Respondents.

To

Smt. Thompi d/o Shri Bhag Chand, village Chaili Chakri, Pargana Baghi Mastgarh, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted appeal it has been proved to the satisfaction of this court that the above noted respondent Smt. Thompi cannot be served in ordinary course of service. Notice issued against her have been received back unserved.

Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is issued against her requiring her to appear personally or through some authorised agent on 4-3-1983 at 10.00 A. M. failing which *ex parte* proceedings shall be taken against her.

Given under my hand and the seal of this court this 14th day of January, 1983.

A. L. VAIDYA,
*Additional District Judge,*
*Shimla (H.P.).*

---

**In the Court of Shri R. L. Sharma, Senior Sub-Judge, Una, Himachal Pradesh**

Case No. 355/82

Ranjit Singh *Versus* Nikka Ram

*Vs*: Nikka Ram s/o Shri Gopala Ram, caste Dhiman, r/o village Goharchhan, Tehsil Amb, District Una, Himachal Pradesh ..Defendant.

Whereas in the above noted case summons to Nikka Ram defendant were issued by this court so many times but the same have been received back unexecuted with the report that his whereabouts are not known. Now it has been proved to the satisfaction of this court that service upon the defendant cannot be made by an ordinary course of service. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C. P. C. is issued against the above-mentioned defendant to appear in this court on 10-3-83 at 10 A.M. personally, through an authorised agent or pleader to defend his case failing which *ex parte* proceedings will be taken against him.

Given under my hand and seal of the court today the 8th day of February, 1983.

Seal.

R. L. SHARMA,
*Senior Sub-Judge,*
*Una district, Una, H. P.*

---

बअदालत श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, तहसीलदार बअख्तयार सहायक कुलेक्टर, प्रथम श्रेणी, तहसील व जिला हमीरपुर

विषय :—तसदीक इन्तकाल नं0 328 वाक्या टीका ककडियार तप्पा लगवालती ।

मुन्दर्जा उनवान बाला में पाया गया है कि श्री प्रकाश चन्द पुत्र किशन सिंह, वासी ककडियार तथा लगवालती अरसा बीस साल से लापता है । इसका इन्तकाल बरासत इन्तकाल नं0 328 टीका ककडियार तप्पा लगवालती इन्तकाल वारसान श्रीमती छुनकी वालदा प्रकाश चन्द पुत्र किशन सिंह के नाम दर्ज और जेर फैसला है । श्री प्रकाश चन्द का इस अरसा में कोई पता नहीं आया है । जिस से जाहिर होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है । अतः इश्तहार हजा मुशत्तहर किया जाता है कि यदि किसी को प्रकाश चन्द के बारे में कोई पता हो तो वह तसदीक इन्तकाल में कोई उजर उजरात पेश होवे तो वह इशायत इश्तहार (Gazette) हजा के अन्दर 30 दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है । इसके बाद कोई उजर काबिल समात न होगा और इन्तकाल बहक वारसान तसदीक कर दिया जावेगा ।

आज ब तारीख 3-2-83 मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

मोहर ।

सुन्दर सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील व ज़िला हमीरपुर ।

बअदालत श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, तहसीलदार बअख्तयार सहायक कुलैक्टर, प्रथम श्रेणी, तहसील व जिला हमीरपुर

विषय ––तसदीक इन्तकाल नं0 327 वाक्या टीका ककडियार तथा लगवालती।

मुन्दर्जा उनवान बाला में पाया गया है कि श्री मेहर सिंह पुत्र किशन सिंह, वासी ककडियार, तप्पा लगवालती अरसा 20 साल से लापता है, इसका इन्तकाल नं0 327 टीका ककडियार तथा लगवालती इन्तकाल वारसान श्रीमती छुनकी वालदा मेहर सिंह पुत्र किशन सिंह के नाम दर्ज और जेर फैसला है। श्री मेहर सिंह का इस अरसा में कोई पत्र नहीं आया है। जिससे जाहिर होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अतः इश्तहार हजा मुशत्र किया जाता है कि यदि किसी को मेहर सिंह के बारे में कोई पता हो तो यह तसदीक इन्तकाल में कोई उजर उजरात पेश होवे तो वह इशयत इश्तहार हजा के अन्दर 30 दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर काबिल समात न होगा और इन्तकाल बहक वारसान तसदीक कर दिया जावेगा।

आज तारीख 3-2-83 मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मोहर।

सुन्दर सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील व जिला हमीरपुर।

---

बअदालत जनाब नायब-तहसीलदार साहिब एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सब-तहसील जयसिंहपुर, पालमपुर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

मुकद्दमा:

| | | |
|---|---|---|
| बुनी चन्द | बनाम | ईशरी देवी आदि। |

दरख्वास्त, बगर्ज तकसीम अराजी खाता नं0 7, खतौनी नं0 32, खसरा नं0 410, 479/1, 558, 1028 किता–4, बकदर 0–05–07 है0 स्थित महाल बार, मौजा बरड़ाम, सब-तहसील जयसिंहपुर।

नोटिस बनाम

1. श्रीमती ईशरी देवी विधवा, 2. ओंकार सिंह, 3. मिलाप चन्द, 4. प्रताप चन्द, 5. ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री अमीन चन्द, 6. कुमारी फूलां, देवी, 7. श्रीमती कलाशा देवी सुपुत्री श्री अमीन चन्द पुत्र धियान सिंह, निवासी बार, मौजा बरड़ाम, जयसिंहपुर।

बमुकद्दमा मुन्दरजा उनवान बाला में फ्रीक दोम को समन कई बार जारी हुए हैं उनकी तामील साधारण तरीका से नहीं हो रही है। अतः उनको बजरिया अखबार इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5–4–1983 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन बमकाम सब-तहसील जयसिंहपुर में हाजर हो कर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तिथि मुकर्रर के पश्चात् कोई उजर या ऐतराज नहीं सुना जावेगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-

मोहर। नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी, जयसिंहपुर।

---

बअदालत जनाब नायब-तहसीलदार साहिब एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सब-तहसील जयसिंहपुर, पालमपुर, कांगड़ा, हि0प्र0

बमुकद्दमा:—

| | | |
|---|---|---|
| प्रित्म चन्द | बनाम | नानक चन्द आदि। |

दरख्वास्त, बगर्ज तकसीम अराजी खाता नं0 3, खतौनी नं0 6, खसरा किता 17 बकदर 2–40–96 है0 स्थित महाल द्रुग, मौजा चढयार, तहसील जयसिंहपुर।

नोटिस बनाम:—

(1) नानक चन्द, 2. राजेन्द्र चन्द, 3. श्रीमती कौशल्या देवी विधवा दीवान चन्द, 4. प्रकाश चन्द, 5 आत्मा राम पुत्र राम सिंह, 6. बैनी चन्द, 7. मोहन सिंह, 8. सलोचनी देवी, 9. ओंकार चन्द पुत्र दर्शन चन्द, 10. शेर चन्द, 11, मस्तक चन्द पुत्र शरद चन्द, 12. अमीन चन्द, 13. कृपाल चन्द, 14 कल्याण चन्द, 15. प्रित्म चन्द, 16. कुमार चन्द, 17. माया देवी, 18. तारो देवी, 19. कलां वती 20. भगवती, 21, गुलाम चन्द पुत्र काश्मीर चन्द, 22. रसील सिंह, 23. किशन चन्द, 24. बन्शी राम 25. अमीन चन्द, 26. दीलू पुत्र मेन चन्द, 27. मान चन्द निवासी महाल द्रुग, मौजा चढयार, सब-तहसील जयसिंहपुर।

बमुकद्दमा मुन्दरजा उनवानबाला में फ्रीक दोयम को कई बार समन हो चुके हैं पर आसान तरीका से इतलाह नहीं हो रही है अतः बजरिया अखबार इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 6–4–1983 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर बमकाम सब-तहसील जयसिंहपुर में पैरवी करें। गैरहाजरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तिथि मुकर्रर के बाद कोई उजर या ऐतराज नहीं सुना जावेगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-

मोहर। नायब-तहसीलदार साहिब
एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
जयसिंहपुर।

---

बअदालत जनाब नायब-तहसीलदार साहिब एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सब-तहसील जयसिंहपुर, पालमपुर, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

बमुकद्दमा:—

| | | |
|---|---|---|
| प्रित्म चन्द | बनाम | नानक चन्द आदि। |

दरख्वास्त: बगर्ज तकसीम अराजी खाता नं0 2, खतौनी नं0 3, 4 और 5 खसरा किता 41 बकदर 2–62–46 है0 स्थित महाल द्रुग, मौजा चढयार, पालमपुर।

नोटिस बनाम:—नानक चन्द, 2. राजेन्द्र चन्द पुत्र ठाकुर चन्द, 3. कौशल्या देवी विधवा दिवान चन्द, 4. प्रकाश चन्द, 5. आत्मा राम पुत्र राम सिंह, 6. बैनी चन्द, 7. मोहन सिंह, 8. सलोचनी देवी, 9. ओंकार चन्द, 10. प्रताप चन्द, 11. कौशल्या देवी, 12. प्रभी देवी पुत्री अर्जी चन्द, 13. काश्मीर चन्द, 14. मान चन्द, 15. रवी चन्द, 16. वैनी चन्द, 17. अकल चन्द, 18. मस्तक चन्द, 19. अमीन चन्द, 20. करपाल चन्द, 21. कल्याण चन्द, 22. प्रित्म चन्द पुत्र, 23. कुमार चन्द, 24. श्रीमती माया देवी, 25. श्रीमती सरी देवी, 26. पुत्री कलावती, 27. पुत्री भगवती देवी, 28. गुलाम चन्द, पुत्र काश्मीर चन्द, 29. रसील चन्द, 30. कृष्ण चन्द पुत्र, 31. बन्शी राम, 32. अमीन चन्द, 33. दीलू पुत्र मान चन्द, 34. मेन चन्द, निवासी महाल द्रुग, मौजा चढयार, पालमपुर, कांगड़ा।

बमुकद्दमा मुन्दरजा उनवानबाला में फ्रीक दोयम को साधारण तौर से इतलाह नहीं हो रही है अतः फ्रीकदोम को बजरिया अखबार इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 6–4–1983 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन बमुकाम सब-तहसील जयसिंहपुर में हाजर हो कर पैरवी मुकद्दमा करें गैर हाजरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तिथि मुकर्रर के बाद कोई उजर या ऐतराज नहीं सुना जावेगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-

मोहर। नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी, सब-तहसील जयसिंहपुर।

---

बअदालत जनाब नायब-तहसीलदार साहिब एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सब-तहसील जयसिंहपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बमुकद्दमा:—

| | | |
|---|---|---|
| परस राम | बनाम | रत्न चन्द आदि |

दरख्वास्त: बगर्ज तकसीम अराजी खाता नं0 8, खतौनी नं0 8

खसरा किता–16, रक्बा 0–55–03 है0 स्थित महाल भाटी सदरेहड़, मौजा लम्बा गांव, सब-तहसील जयसिंहपुर।

नोटस बनाम—रत्न चन्द, 2. प्रितम चन्द पुत्र 3. श्रीमती रूमालू देवी, 4. जोती उर्फ रणजीत सिंह पुत्र घपलिया, 5. सुरेन्द्र कुमार, 6. नरेन्द्र कुमार, 7. सुदर्शना कुमारी पुत्री, 8. प्रकाश देवी विधवा चन्शी, निवासी भाटी सदरेहड़, मौजा लम्बा गांव, 9. बजिरा राम पुत्र उमदा, 10. गुलाम सिंह, 11. बलदेव राज, 12. कुमारी पवना, 13. कुमारी संजोगता पुत्री 14. मदन लाल, 15. अशोक कुमार, 16. पिंकू, 17. कर्म सिंह, 18. गोंदा देवी विधवा धियान, 19. प्रभी विधवा सोहणू टीका साई, मौजा लम्बा गांव, 20 श्री मंगल पुत्र गुरदयाल, 21. श्री राम सिंह, 22. हरि सिंह, 23. केहर सिंह, 24. प्रधान सिंह, 25. जगरूप चन्द पुत्र शंकर, टीका मलाह, मौजा ठण्डोल, सब-तहसील जयसिंहपुर।

बमुकदमा मन्दरजा उनवानवाला में फरीकदोयम को कई बार समन जारी हो चुके हैं पर उनकी तामील आसान तरीका से नहीं हो रही है अतः बजरिया अखबार इश्तहार फरीक दोयम को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16–3–1983 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन बमुकाम सब-तहसील जयसिंहपुर में हाजर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी। तिथि मुकरर के पश्चात् कोई उजर या एतराज नहीं सुना जावेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित,
नायब तहसीलदार साहिब एवं सहायक
समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जयसिंहपुर।

मोहर।

---

## भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

---

## भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

### ELECTION DEPARTMENT
### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 14/16th February, 1983*

**No. 3-2/83-ELN.**—The Election Commission of India's notification No. 82/HP-LA 6/82, dated the 31st January, 1983 corresponding to Magha 11, 1904 (Saka) containing the Judgment, dated the 7th January, 1983 of the High Court of Himachal Pradesh at Simla in Election Petition No. 6 of 1982 is hereby published for general information.

By order,
S. M. KANWAR,
*Chief Electoral Officer,*
*Himachal Pradesh.*

### ELECTION COMMISSION OF INDIA
### NOTIFICATION

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-1,
*Dated the 31st January,* 1983

*Magha* 11, 1904 (*Saka*).

**No. 82/HP/LA/6/82.**—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the Judgment, dated 7th January, 1983 of the High Court of Himachal Pradesh at Simla, in Election Petition No. 6 of 1982.

भारत निर्वाचन आयोग

अशोक मार्ग,
नई दिल्ली: 110001,

तारीख 31 जनवरी, 1983

11 माघ, 1904 (शक)

अधिसूचना

सं 82/हि0 प्र0-वि0 स0/6/82.—1982 की निर्वाचन अर्जी सं0 6 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के तारीख 7 जनवरी, 1982 के निर्णय की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग प्रकाशित करता है।

### IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SIMLA
### ELECTION PETITION NO. 6 OF 1982

*Date of decision January 7,* 1983.

Shri Rikhi Ram Kaundal ..*Petitioner.*

*Versus*

Shri Ganu Ram and others . *Respondents.*

Coram:

The Hon'ble Mr. Justice T. R. Handa, J.

Whether approved for reporting. Yes.

For the Petitioner(s) Shri P. N. Nag, Advocate with him Sarvshri Rajinder Kishore Sharma and Naresh Gupta, Advocates.

For the Respondent (s) Shri Chhabil Das, Advocate with him Shri Yoginder Pal, Advocate.

T. R. HANDA:

During the last general elections to the Himachal *Pradesh Vidhan Sabha held in May, 1982, the petitioner* Shri Rikhi Ram Kaundal and all the four respondents Sarvshri Ganu Ram, Banta Ram, Ram Parkash and Niku Ram were in the field to contest the seat from 23—Gehrwin Assembly Constituency. This seat is reserved for Scheduled Caste candidates only. Shri Ganu Ram respondent No. 1 polled 7,477 votes which being the highest number of votes polled by any candidate, he was declared elected. The petitioner who trailed immediately behind secured 6901 votes. There is nothing on the record to show the number of votes secured by the other three candidates.

The petitioner who had contested the election sa an independent candidate has brought the present election petition under sections 81, 100 and 101 of the R presentation of People Act, 1951 (hereinafter called 'the Act'), praying that the election of respondent No. 1 be declared void. A further prayer initially made in the election petition was that after the election of respondent No. 1 is declared void the petitioner be declared elected from the aforesaid constituency in place of respondent No. 1. This second prayer was, *however, later dropped at the* time of settlement of issues.

The election of respondent No. 1 has been challenged on three grounds. The first ground is that the nomination papers filed by respondent No. 1 were not in order and had been improperly accepted by the Returning Officer. It is alleged that in the nomination paper filed by him, respondent No. 1 had made no declaration specifying the particular caste of which he is a member and the area in relation to which his caste is a scheduled caste of the State. The nomination paper of this respondent in these circumstances was improperly accepted.

The second ground is that in as much as respondent No. 1 had made no declaration of the kind referred to above, in his nomination paper, he was not qualified for being chosen from the 23—Gehrwin reserved constituency in terms of the mandatory provisions of section 33(2) of the Act.

The third ground is that respondent No. 1 was not qualified for being chosen from the aforesaid reserved constituency in as much as he does not belong to any of the castes which have been declared as scheduled castes. According to the petitioner, respondent No. 1 is a 'Dhiman' by caste which is apparent from the fact that at the time when he got admission of his son, Shri Dalip Singh in Government High School, Bilaspur, respondent No. 1 had described himself as 'Dhiman'. According to the further contention of the petitioner, the caste Dhiman has never been declared as scheduled caste in the State of Himachal Pradesh.

Respondent No. 1 alone appeared to contest this petition. In his reply, this respondent did not dispute that the nomination paper which he filed before the Returning Officer did not contain the declaration on the prescribed form specifying the caste of which he is a member and the area in relation to which this caste has been declared as scheduled caste in the State. He, however, alleged that along with his nomination paper he had attached a certificate from the Sub-Divisional Magistrate Ghumarwin in which this respondent had been described as a member of the scheduled caste being of a Lohar Caste. The nomination paper filed by him when read as awhole along with its enclosures, according to respondent No. 1, clearly reflected that this respondent was a member of a scheduled caste as notified by the President of India in the Scheduled Caste Order and as such the nomination papers filed by him were in order and had been rightly accepted by the Returning Officer. In other words the filing of the certificate from the Sub-Divisional Magistrate showing the respondent as a member of the scheduled caste, was, according to the respondent, a sufficient compliance of the provisions of section 33 (2) of the Act and he was not, therefore, disqualified for being chosen. The respondent further pleaded that his caste was 'Lohar' which had been declared as scheduled caste in the Presidential Order. He admitted that he had been suffixing the word 'Dhiman' after his name but denied if 'Dhiman' was his caste. According to the contesting respondent the suffix 'Dhiman' was used after his name by every member of the artisan class, namely. *Tirkhan* (carpenter) *Lohar* (blacksmith) etc. The simple use of this word would not mean that this respondent ceased to belong to his caste which was *Lohar*.

On the aforesaid pleas of the parties the following issues were struck:—

1. whether respondent No. 1 was qualified to be chosen to fill the seat against which he has been returned?
2. Whether the nomination paper of the respondent was improperly accepted? If so, to what effect?
3. Whether the respondent belongs to scheduled caste? If so, to what effect?

Issue No. 1:

The plea of the election petitioner that respondent No. 1 was not qualified to be chosen to fill the seat against which he has been declared elected is founded on two grounds each of which is independent of the other. The first of those grounds is that respondent No.1 having failed to make a declaration in his nomination paper, specifying the particular caste of which he is a member and the area in relation to which that caste is a scheduled caste of the State, he, by virtue of the deeming provisions of section 33 (2) of the Act, was not qualified to be chosen to fill the seat in question which was a admittedly reserved seat. The seconground pleaded is that respondent No. 1 is not a member of any scheduled caste of the State and, therefore, was not qualified to be chosen to fill this reserved seat which was reserved for scheduled castes only. The present issue relates to the first of these two grounds. The second ground would be covered under issue No. 3.

It is common caste of the parties that the seat for which the parties contested and against which respondent No. 1 has been declared elected, is a reserved seat. It is reserved for scheduled castes only. It may be observed that Article 332 of the Constitution provides for reservation of seats for the Scheduled Cases and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the tribal areas of Assam in Nagaland and in Meghalaya, in the Legislative Assembly of every State. The actual reservation of such seats for scheduled castes and scheduled tribes in the Legislative Assemblies of the various states is made under section 7 of the Representation of the People Act, 1950. The seat in question is, thus reserved for scheduled castes under a valid law. It is, therefore, undeniable that one of the essential qualifications for a candidate to contest this reserved seat was that he must be a member of a scheduled caste of the State.

It is again not in dispute that as pleaded in the election petition, the nomination paper filed by respondent No. 1 in respect of his nomination, contains no declaration of this respondent, specifying the particular caste of which he is a member and the area in relation to which that caste has been declared scheduled caste of the State. Otherwise also a bare look at the nomination paper Ex. PW. 1/1 which is admittedly the only nomination paper filed by respondent No. 1 in respect of his nomination would show that the declaration of the kind referred to above is not contained in it. Of course along with this nomination paper Ex. PW. 1/1o respondent No. 1 had filed a certificate issued by the Sub-Divisional Magistrate Ghumarwin certifying that this respondent "belongs to scheduled caste (Lohar)". This certificate is found at Ex. PW. 1/3.

It is in the light of the aforesaid short but undisputed facts that I am called upon to return my verdict on the point whether respondent No. 1 was or was not qualified to be chosen to fill the seat against which he has been declared elected. sub-section (2) of section 33 of the Act which has been invoked by the election petitioner in support of his plea covering this issue, is in the following terms:—

"33. *Presentation of nomination paper and requirement for a Valid nomination.*

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

(2) In a constituency where any seat is reserved, a candidate shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat unless his nomination paper contains a declaration by him specifying the particular caste or tribe of which he is a member and the area in relation to which that caste or tribe is a Scheduled Caste or, as the case may be, a Scheduled Tribe of the State.

The language employed in the sub-section extracted above is plain and admits of no ambiguity. Looking at this provision it is imperative that a candidate contesting a seat reserved for scheduled castes, as in the case in hand, must make a declaration in his nomination paper specifying the particular caste of which he is a member and the area in relation to which that caste is a scheduled caste of the State. The sub-section further provides that unless the nomination paper of a candidate contesting a reserved seat contains the declaration of the kind referred to above, he shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat. Admittedly in the instant case the nomination paper filed by respondent No. 1 contains no such declaration. By the very force of the language used in section 33 (2), the conclusion, therefore, is irresistible that respondent No. 1 was not qualified to be chosen to fill the seat against which he has veer declared elected.

The counter argument advanced on behalf of respondent No. 1 is like this. The object of sub-section (2) of section 33 is only to give a notice to the Returning Officer and the other candidates at the election of the particulars caste of which a candidate contesting a reserved seat, is a member so as to enable them to verify that his caste is a scheduled caste of the State. True, the argument proceeds, that respondent No. 1 had in his nomination paper made no declaration of the type required by sub-section (2) of section 33, but he had then attached with his nomination paper, the certificate Ex. PW. 1/3. This certificate had been issued by a competent authority, namely, the Sub-Divisional Magistrate Ghumarwin and it certified in clear terms that respondent No. 1 was a member of Scheduled Caste (*Lohar*). The nomination paper of rrespondent No.1 read with this certificate of the Sub-Divisional Magistrate should be taken as substantially meeting the requirements of sub-section (2) of section 33. Respondent No. 1, therefore, in the presence of this certificate which formed part of his nomination paper, would not be deemed to be not qualified to be chosen to fill the reserved seat in question.

This argument, however, attractive it may look, is devoid of all force. The certificate of the Sub-Divisional

Magistrate attached by respondent No. 1 with his nomination paper, can neither be treated as a part of the nomination paper nor as a substitute for the declaration within the contemplation of sub-section (2) of section 33. The nomination paper has to be filed on a prescribed form duly completed and signed by the candidate and his proposer. This is a statutory mandate contained in sub-section (1) of section 33 of the Act. The form of nomination paper has been prescribed under the Conduct of Election Rules, 1961 (*See* rule 4). This form is called Form 2-B. This is a self contained form and does not contemplate the filing of any enclosures or certificate along with it. The relevant parts of this prescribed form read thus:

FORM 2B
(*See* rule 4)
NOMINATION PAPER

Election to the Legislative Assembly of............. (State) I nominate as a candidate for election to the Legislative Assembly from the..............assembly constituency.

Candidate's name..............................
His postal address..............................

His name is entered at S. No.................in Part No............, of the electoral roll for the ...... assembly constituency.

My name is................and it is entered at S. No............in Part No............of the electoral roll for the................assembly constituency.

Date.......... (*Signatuer of proposer*).

---

I, the above-mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare—

(*a*) that I have completed..............years of age;
*(*b*) that I am set up at this delection by the.......... parts;
(*c*) that the symbols I have chosen are, in order of preference(*i*)..........(*ii*)..........and (*iii*)....
..........

*I further declare that I am a member of the........ ..............**caste/tribe which is a schedule**caste/ tribe of the State of.............................. in relation to..................(area) in that State.

Date........ (*Signature of candidate*).

---

*Score out this paragraph, if not applicable.
**Score out the word not applicable.

---

xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx

This form has been prescribed for candidates of both categories, those who are contesting a general seat as well as those who are contesting a reserved seat. It is legitimate to presume that while prescribing this form, the relevant provisions of the Act were kept in view and the main object of this form was to ensure the compliance of such provisions. This form consists of five parts. The first part is required to be filled in and signed by the proposer of the candidate. The second part is required to be filled in and signed by the candidate himself. Both these parts are to be completed and signed before the nomination paper is filed before the Returning Officer. The remaining three parts are to be filled in and signed by the Returning Officer after the nomination paper is filed. These last three parts are not, therefore, relevant for our purpose and hence I have not considered it necessary to extract them out. We are here concerned only with the second part extracted above.

This second part which is in the form of a declaration can be further split into two sub-parts. In the first sub-part which is applicable to candidates of both the categories, a candidate is required to declare his age, name of his party and the symbols in order of preference which he has chosen. In the next sub-part which is relevant and important for our purpose, a candidate is required to further declare the caste or tribe of which he is a member and also the area in relation to which that caste or tribe has been declared to be a scheduled caste or tribe, as the case may be, of the State. In the case of a candidate who is contesting a general seat he is not enjoined under any law or statute to specify in his declaration the particular caste or tribe of which he is a member. This second sub-part of declaration required to be made by a candidate is, therefore, wholly irrelevant in the case of a candidate contesting a general seat.

It, therefore, follows that the second sub-part of the declaration which requires a candidate to specify the particular caste or tribe of which he is a member and the area in respect of which that caste or tribe has been declared as scheduled caste or tribe, as the case may be, of the State, is required to be made only by a candidate who is contesting a reserved seat. This declaration has been incorporated in the prescribed form obviously with the object of ensuring compliance with the mandatory provisions of sub-section (2) of section 33, in the case of candidates contesting reserved seat. The prescribed nomination form, therefore, as already observed is a self contained form which if duly completed and signed would answer all these statutory requirements. This prescribed form does not contemplate the filing of any enclosures along with it. The certificate Ex.PW.1/3 filed by respondent No. 1 along with his nomination form cannot, therefore, be treated as a part of the nomination paper.

Assuming though not conceding that certificate Ex. PW.1/3 can be treated as a part of the nomination paper Ex. PW.1/1 and that these two documents taken together from a complete nomination paper of respondent No. 1. I fail to appreciate how this would improve the matters so far as respondent No. 1 is concerned. Even these two documents read together would not meet the statutory requirements, of sub-section (2) of section 33 of the Act. The statute requires a candidate to make his own declaration specifying the caste of which he is a member and the area in relation to which that caste is a scheduled caste of the State. This declaration of the candidate is then required to be signed by the candidate himself. Certificate Ex. PW. 1/3 is neither a declaration in the prescribed language nor does it bear the signatures of respondent No. 1. This certificate is thus no substitute for the declaration within the contemplation of sub-section (2) of section 33. It may be observed that when sub-section (2) of section 33 requires that the declaration of the kind mentioned therein should be contained in the nomination form of the candidate, it talks of the prescribed nomination form. A reference to the prescribed nomination form would make it clear that such a declaration must be signed by the candidate.

It is by now a well established rule of law, having been repeatedly recognized by the Supreme Court, that whenever a statute requires a particular act to be done in a particular manner and also provides that failure to comply with the said requirement leads to a specific consequences, the requirement is mandatory and in the event of its non-compliance, the consequences as specified in the statute must necessarily follow. This rule should apply with all the more force in election matters in view of the following observations of the Supreme Court made in the case of *Jagan Nath* versus *Jaswant Singh and others* reported in A.I.R. 1954 S.C. 210:

> "The general rule is well settled that the statutory requirements of election law must be strictly observed and that an election contest is not an action at law or a suit in equity but is a purely statutory proceeding unknown to the common law and that the court possesses no common law power".

The aforesaid observations of the Supreme Court have later been approved in Shri *Baru Ram* versus *Smt. Parsanni*

*and other* (A.I.R. 1959 Supreme Court 93) and *Samant N. Balakrishan, etc.* versus *George Feznandez and others etc.* (A.I.R. 1969 S.C. 1201).

On the facts of the case in hand which are undisputed, there is, therefore, no escape from the conclusion that respondent No. 1 having failed to make a declaration in his nomination form specifying the particular caste of which he is a member and the area in relation to which that caste is a scheduled caste of the State, the consequences provided for such non-compliance in sub-section (2) of section 33 must follow and it must be held that respondent No. 1 was not qualified to be chosen to fill the seat against which he stands elected. This first issue is, therefore, found in favour of the petitioner and against respondent No. 1.

Issue No. 2:

Under this issue the plea of the petitioner is that the nomination paper of respondent No. 1 should have been rejected at the time of scrutiny and its acceptance being improper, the election of this respondent must be declared void. Section 36 of the Act deals with scrutiny of nomination papers. It is under this provision that the nomination papers are accepted or rejected by the Returning Officer. Sub-section (2) of this section enjoins upon the Returning Officer to reject a nomination paper where:

(*a*) the candidate is either not qualified or is disqualified for being chosen to fill the seat under any of the following provisions that may be applicable, namely:—
  (*i*) article 84, 102. 173 and 191 of the Constitution; and
  (*ii*) Part I of the Act.

(*b*) that there has been a failure to comply with the provisions of section 33 or section 34 of the Act, or

(*c*) the signature of the candidate or the proposer on the nomination paper is not genuine.

Sub-section (4) of section 36 next provides that the Returning Officer shall not reject any nomination paper on the ground of any defect which is not of a substantial character.

It follows, therefore, that a defect of substantial character in a nomination paper must entail its rejection. If, therefore, once it is found that the nomination paper filed by respondent No. 1 suffered from a material defect, the same had to be rejected and its acceptance must be declared improper. I have already held under issue No. 1 that the nomination paper filed by respondent No. 1 whether taken by itself or read along with its enclosure Ex.PW. 1/3, is neither complete nor does it comply with the mandatory requirements of section 33 (2) of the Act. Non compliance of section 33(2) of the Act from which defect, the nomination paper of respondent No. 1 suffers, entails penal consequences as provided in the statute itself. Such a defect, therefore cannot but be treated a defect of substantial character. To sum up, there had been in the case of respondent No. 1 a failure to comply with the provisions of section 33(2) of the Act and since this non-compliance amounted to a defect of a substantial character, the nomination paper of a respondent No. 1 reserved to be rejected under section 36(2) of the Act. The acceptance of the nomination paper of respondent No. 1 in the circumstances was, therefore, improper. This issue is also found in favour of the petitioner and against respondent No. 1.

Issue No. 3:

The case for respondent No. 1 is that he is Hindu and being '*Lohar*' by caste he belongs to a scheduled caste within the meaning of paragraph 2 read with Part VI of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 issued under Article 341 of the Constitution. The caste '*Lohar*' is covered by item No. 36 in Part VI (Himachal Pradesh) of the Schedule to the Order.

It is not disputed on behelf of the petitioner either that '*Lohar*' is a scheduled caste for the State of Himachal Pradesh within the meaning of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. The contention of the petitioner is that respondent No. 1 is not a '*Lohar*' but 'Dhiman' by caste and hence he cannot be treated as a member of the scheduled caste for the State of Himachal Pradesh. So the controversy between the parties boils down to the point whether for the purposes of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 respondent No. 1 is a member of a caste, tribe or race known as '*Lohar*' in the State of Himachal Pradesh.

Both sides have adduced oral as well as documentary evidence in support of their respective contentions giving rise to the controversy referred to above. Shri Gangu Ram respondent No. 1 put himself into the witness box to state on oath that he was '*Lohar*' by caste and has all along been treated as a member of the scheduled caste in the State. Previously he was employed in the Himachal Government Transport Department as a clerk. In 1974 he was promoted to the rank of Junior Auditor in the same Department against the quota reserved for scheduled castes. Ex. RW. 4/2 is a copy of the letter datad 25-8-1973 addressed by the Regional Manager, Himachal Government Transport, Billaspur to the Commissioner Transport, Himachal Pradesh Simla. Enclosed with this letter is a list of the employees belonging to scheduled caste which is Ex. RW. 4/3. The name of respondent No. 1 figure at S. No. 1 of this list suggesting thereby that he was treated as a member of scheduled caste by his employer. Shri Dalip Singh of respondent No. 1 also secured is admission in the M.B.B.S. course of the H. P. Medical College against the quota reserved for scheduled castes. These concessions were availed by the respondent and his son Shri Dalip Singh were admittedly never challenged. The respondentalso summoned the record of the Government High School. Bilaspur pertaining to his own admission in that school. Ex. RW. 3/1 is a true copy of the Admission Register of the said school concerning this respondent. This entry is dated 17-4-1935. In this entry under the column 'Tribe' or 'Caste' the father of the respondent has been described as "Blacksmith" which term when translated into Hindi means '*Lohar*'. The respondent also produced two copies of Pedigree tables which are Ex. RW. 2/1 and Ex. RW. 2/2. In the pedigree table Ex. RW. 2/1 the family of respondent No. 1 has been described as of '*Lohar*' caste, while in the other Pedigree table Ex. RW. 1/2. the caste of the family of the respondent is mentioned as 'Lohar Attar'. It is not disputed that 'Attar' is only a *Gotar* and does not form part of any caste. Two oral witnesses, namely, Shri Sant Ram (RW. 8) and Shri Pala Ram (RW. 9) were also examined on behalf of respondent No. 1 and both of them deposed that the caste of respondent No. 1 was '*Lohar*' and he had been treated as belonging to that caste in the area. A suggestion was put to respondent No. 1 in his cross examination that he was Brahmin by caste but he refuted the same. Respondent No. 1 did not deny having used the suffix 'Dhiman' after his name but than explained that 'Dhiman' was no caste.

The petitioner on his part made an endeavour though a futile one to prove that respondent No. 1 was '*Lohar*' only by profession and not by caste and that the caste of respondent No. 1 was 'Dhiman'. He further tried to prove that 'Dhiman' were Brahmins and could not, therefore, be treated as members of the scheduled caste. The evidence of the petitioner, however, in my view, supports the case of respondent No. 1 rather than his own case. The petitioner himself impliedly admitted in his cross examination that 'Dhiman' was not a caste but a suffix used after their names by all the artisan classes. To quote his own words the petitioner stated. "It is correct that all the *Tirkhans. Lohars* and masons in this area call themselves as 'Dhimans'." RW. 4 Shri Rattan Lal Sharma is another witness examined by the petitioner on this point. According to this witness 'Dhimans' have only five professions. They are either 'Lohar' or 'Tirkhan', or 'Mason', or 'Utensil Makers' or 'Goldsmiths'. If it is so, it is ridiculous to say that 'Dhimans' are Brahmins since none of the aforesaid

professions was meant for the members of the high caste of Brahmins. The only safe conclusion is that 'Dhiman' is no caste but a common suffix used after their names by artisans like 'Lohar', "Tirkhans" 'Utensil Makers', 'Goldsmiths' and 'masons'. Both PW. 4 Shri Kattan Lal Sharma and PW. 5 Shri Bansi Lal next admit that 'Lohars' who called themselves 'Dhimans' have been treated as scheduled caste in the State and they had been availing of various concessions permissible to the members of th scheduled castes in the State. They could have availed of these concessions only if they had been accepted as members of the caste or tribe or race known as 'Lohar' in the State and which has been declared as scheduled caste under the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. This also shows that 'Dhiman' was never treated as a caste or else these persons who called themselves as 'Dhimans' could not have been allowed to avail of the concessions permissible to scheduled caste only. So the logical conclusion is that 'Dhiman' is no separate caste or tribe. It is only a common suffix used after their names by the members of certain classes like 'Lohars', 'Tirkhans', 'Goldsmiths', and 'Utensil makers' and 'Masons' and this suffix they use as a matter of course or custom.

In passing, it may be observed that according to the learned counsel for the petitioner, respondent No. 1 had himself made an admission of his belonging to Brahmin caste and in view of that admission it was not now open for him to plead that he belonged to any other caste. This admission relied upon by the learned counsel for the petitioner is alleged to be contained in Ex. PW.3/1 which is an Admission Form which was filled by respondent No. 1 when he got his son admitted in the Government High School Bilaspur. In this form respondent No. 1 gave his name as "Ganu Ram Dhiman". I have already explained the use of this suffix 'Dhiman' against the name of respondent No. 1 and in view of that explanation this Admission Form Ex. PW. 3/1 cannot be treated as an admission on the part of respondent No. 1 that he is Brahmin by caste.

In view of the evidence of either party as discussed above, my conclusions are that 'Dhiman' is no caste and that respondent No. 1 belongs to the caste or tribe called 'Lohar' in the State. He, therefore, in terms of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 is a member of the Scheduled Caste of the State. This issue is accordingly found in favour of respondent No. 1.

ORDER

In view of my findings on issue No. 1 that respondent No. 1 was not qualified to be chosen to fill the seat against which he has been declared elected, I declare his election void under section 100(1)(*a*) of the Act. In view of my findings on issue No. 2 that the nomination of respondent No. 1 had been improperly accepted I further declare the election of this respondent void under section 100(1)(*d*)(*i*) of the Act as obviously the result of the election in so far as it concerns this respondent has been materially affected by this improper acceptance of the nomination.

Keeping in view all the circumstances of this case I fix the costs of the election petitioner at Rs. 700 and direct respondent No. 1 to pay this amount to the petitioner. I further direct that the substance of this decision be intimated to the Election Commission as also to the Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly forthwith and that an authenticated copy of this decision be also sent to the Election Commission at the earliest.

SEAL.
January 7, 1983.

Sd/-
T. R. HANDA,
*Judge.*

*Attested.*

Sd/-
*Superintendent (Judl.).*

By order,
M. L. WAHI,
*Under Secretary,*
*Election Commission of India.*

अनुपूरक

शून्य

## PART I

### PERSONNEL DEPARTMENT
**(Secretariat Administration Services)**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 15th February,* 1983

**No. Per. SA-II-B(10) 3/81.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Heminder Singh, Section Officer, Himachal Pradesh Secretariat on attaining the age of superannuation will retire from service with effect from 28th February, 1983 (A.N.).

Sd/-
*Under Secretary.*

### CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 16th February,* 1983

**No. 1-13/70-Co-op (S).**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Harish Chander Chandel, Deputy Registrar, Co-operative Societies (Audit), Himachal Pradesh, Co-operative Directorate, Shimla, shall stand retired from Government service on attaining the age of superannuation *w. e. f.* 30-6-1983 (A. N.).

ATTAR SINGH,
*Secretary.*

### HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 18th January,* 1983

**No. Health-B(3)-12/82(A).**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri S. R. Bhardwaj, District Ayurveda Officer as Registrar of Himachal Pradesh Ayurveda and Unani Board on deputation basis for a period of two years from the date he takes over as such.

A. N. VIDYARTHI,
*Secretary.*

### FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT
NOTIFICATION

*Shimla-2, the 16th February,* 1983

**No. FDS-(B) 2-3/81.**—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendation of the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to promote Shri Satya Dev Sharma, Inspector, Weights and Measures as Assistant Controller, Weights and Measures, Class-II (Gazetted) in the pay scale of Rs. 700—1200, with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post Shri Satya Dev Sharma as Assistant Controller (Weights and Measures), Shimla Division, Shimla (Comprising of Shimla, Dhakli and Rampur Circles). He will also hold additional charge of the post of Inspector, Weights and Measures (HQS) in the office of the Controller, (W & M), Himachal Pradesh as holding prior to his promotion till further orders. He will be on probation for a period of two years.

By order,
ATTAR SINGH,
*Commissioner-cum-Secretary.*

बअदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (विभाजन), अर्की
मिसल नं0 20/9 बाबत साल 1982

बमुकद्दमा अमर देव पुत्र बिहारी, निवासी बड़ोग, परगना मत्यांज .. प्रार्थी ।

बनाम

हेत राम, शालीग्राम, जगदीश, दिना नाथ, बली राम पिसरान पुरन निवासी बड़ोग, परगना मत्यांज .. प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र विभाजन भूमि खाता खतौनी नं0 67/84 किता 6 रकबा तादादी 21 बीघा 15 बिस्वा वाका चक कशलोग, परगना मत्यांज खुर्द ।

इश्तहार बनाम:—

(1) श्री शालीग्राम शर्मा, वायरलैस आप्रेटर, रेडियो वायरलैस स्टेशन, पी. एण्ड टी. विभाग, शिमला, (2) श्री दिना नाथ गर्ग, जी. एन. आर. नं0 143134674, एम.टी.एन. रेजिमेंट, मारफत 99 ऐ. पी.ओ, (3) श्री बली राम पुत्र पुरन लाल, एम. बी. बी. एस., मारफत मैडीकल सुप्रिनटैन्डैन्ट स्नोडन हस्पताल, शिमला ।

मुकद्दमा मुन्दरजा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई दफा समनात भेजे गये परन्तु वह हाजिर अदालत नहीं आ रहे हैं न ही समनात पर तामील हो रही है । जिस से साफ प्रतीत होता है कि प्रतिवादी तामील समनात से गुरेज कर रहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-3-1983 को 10 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई यकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31 माह जनवरी सन् 1983 दस्तखत हमारे व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

हस्ताक्षरित/-
मोहर । सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग,
अर्की, जिला सोलन ।

---

बअदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (विभाजन), अर्की
मिसल नं0 21/9 बाबत साल 1982

बमुकद्दमा अमर देव पुत्र बिहारी, निवासी बड़ोग, परगना मत्यांज .. प्रार्थी।

बनाम

हेत राम, शालीग्राम, जगदीश, दिना नाथ, बली राम पिसरान पुरन, निवासी बड़ोग, परगना मत्यांज .. प्रतिवादीगण ।

प्रार्थना-पत्र विभाजन भूमि खाता खतौनी नं0 68/74, किता 6 रकबा तादादी 16 बीघा 17 बिस्वा, वाका चक नेवड़ो, परगना मत्यांज, तहसील अर्की।

इश्तहार बनाम:—(1) श्री शालीग्राम शर्मा, वायरलैस आप्रेटर, रेडियो वायरलैस स्टेशन, पी.एण्ड टी. विभाग, शिमला ।

(2) श्री दीना नाथ गर्ग, जी.एन.आर. नं0 143134674 एम. टी. एन. रेजिमेंट, मारफत 99 ए.पी.ओ. ।

(3) श्री बली राम पुत्र पुरन लाल, एम. बी. बी. एस. मारफत मैडीकल सुप्रिन्टैन्डैन्ट, स्नोडन हस्पताल, शिमला ।

मुकद्दमा मुन्दरजा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई दफा समनात भेजे गए परन्तु वह हाजिर अदालत नहीं आ रहे हैं ना ही समनात पर तामील हो रही है जिस से साफ प्रतीत होता है कि प्रतिवादी तामील समनात से गुरेज कर रहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-3-1983 को 10 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई यकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31 माह जनवरी सन् 1983 दस्तखत हमारे और मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-
मोदर सहायक कुलैक्टर, प्रथम वर्ग,
अर्की, जिला सोलन

---

बअदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 23/13(बी) बाबत साल 1982

बमुकद्दमा कृष्ण लाल पुत्र गिरीजा राम, निवासी कालर, परगना देवरा, तहसील अर्की .. प्रार्थी।

बनाम

देवी सिंह, सन्त राम इत्यादि .. प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती इन्द्राज खसरा गरदावरी खाता खतौनी नं0 3/3 किता 4 रकबा 7-9 बीघा व खाता खतौनी नं0 4/4 किता 13 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा, वाका चक कालर, परगना देवरा।

इश्तहार बनाम:—(1) श्री देवी सिंह पुत्र रामदास, निवासी कालर, लाइन मैन, बिजली बोर्ड, ईदगाह सब-स्टेशन, शिमला ।

(2) श्रीमती नरमाणी पत्नी विजया राम, निवासी धारढ़, तहसील अर्की ।

(3) श्रीमती द्रोपती पत्नी नथू, निवासी घड़ियाच, परगना सन्धूरत, तहसील अर्की।

मुकद्दमा मुन्दरजा उनवान बाला में प्रतिवादीगण को कई दफा समनात जारी किए गए परन्तु प्रतिवादीगण पर तामील समनात नहीं हो रही है । अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण तामील समन से गुरेज कर रहे हैं ।

अतः बजरिया इश्तहार हजा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-3-1983 को 10 बजे सुबह असालन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई यकतरफा अमल म लाई जावेगी।

आज बतारीख 31 माह जनवरी, 1983 दस्तखत हमारे और मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-
मोहर । सहायक कुलैक्टर प्रथम वर्ग,
अर्की, जिला सोलन ।

---

बअदालत श्री सीता राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, दर्जा दोम, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा सेहत इन्द्राज
हरी राम
बनाम
श्रीमती मथरू आदि

दरख्वास्त सेहत इन्द्राज खेवट नं0 118 खतौनी नं0 133 ख0नं0 1016 तादादी 1-11-10 बीघा वाक्या मुहाल डैहर।

नोटिस बनाम 1. श्रीमती मथरू विधवा सिहणु, 2. अरजन, 3. सुरजन, 4. डिला, 5. धनी राम पुत्र सुदामा पुत्र काहन, जाति ब्राहमन, निवासी मारकण्डा, जिला बिलासपुर, 6. श्रीमती पारवतु विधवा, 7. श्रीमती जसवन्ती पुत्री सरदारु पुत्र काहना, निवासी डैहर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) ।

उपरोक्त दरख्वास्त सेहत इन्द्राज में पाया गया है कि फरीक दोम को तामील समन घर पर नहीं हो सकती है इस लिए इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत दिनांक 1-3-83 प्रातः 10 बजे आकर पैरवी करे बसूरत दीगर अनुपस्थिति एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मोहर अदालत द्वारा आज दिनांक 8-2-83 को जारी हुआ।

मोहर । सीता राम शर्मा,
सहायक कुलैक्टर, द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।